संशोधित प्रति
28-7-2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

NIEPA DC
D11491

जनपद - भदोही

54232
372
BAD-D

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11491
DOC, No ....
Date 09-07-2002.

मदोही

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–4
2.	शैक्षिक परिदृश्य	5–15
3.	नियोजन प्रक्रिया	16–25
4	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	26–29
5	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	30–34
6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	36–40
7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	41–54
8.	ठहराव में वृद्धि	55–79
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	80–109
10	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	110–133
11.	परियोजना लागत	134-147
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	148-157
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय – 1

जिले की पृष्ठ भूमि –

संत रविदास नगर, भदोही का अंक्षाशीय विस्तार 25°12′ उत्तर से 25°32′ उत्तर तक और देशान्तरीय विस्तार 82°42′ पूर्व तक है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1056 वर्ग किलोमीटर है। भदोही जिला मध्य गंगा के मैदान में बसा हुआ है। यह पूर्णतः समतल नहीं है बल्कि उच्च एवं निम्न स्थलों से युक्त एक वेलनाकार मैदान है।

इस जनपद के उत्तर में जनपद जौनपुर, दक्षिण में जनपद मीरजापुर एवं पूर्व में जनपद वाराणसी तथा पश्चिम में जनपद इलाहाबाद स्थित है। इस जनपद के मध्य में वरूणा एवं मोरवा नदी तथा दक्षिण में गंगा एवं उत्तर में सई नदी बहती है। जनपद की जलवायु उष्ण कटिबन्धीय है। अधिकतम तापमान 43.90 से0ग्रे0 एवं न्यूनतम तापमान 5.50 से0ग्रे0 है। यहाँ की औसत वर्षा लगभग 1156 मि0मी0 है।

30 जून 1994 के पूर्व यह जनपद वाराणसी जनपद का एक अंग था। जनपद सृजन के समय प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद को दो तहसीलों एवं 5 विकास खण्डों (ज्ञानपुर, औराई, भदोही, सुरियावाँ एवं डीघ) में विभक्त किया गया था। किन्तु 15 जून 1995 में जनपद जौनपुर के दो विकास खण्डों (रामपुर एवं बरसठी एवं एक नयी तहसील का सृजन कर इस जनपद मे शामिल कर लिया गया। परंतु पुनः शासन द्वारा जनपद जौनपुर के दो विकास खण्डों (रामपुर एवं बरसठी) को जनपद जौनपुर में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में जनपद का नाम 'संत रविदास नगर भदोही' है। इसका मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थित है। यह जनपद विन्ध्याचल मण्डल के अन्तर्गत है।

वर्तमान में जनपद में दो तहसीलें ज्ञानपुर एवं भदोही है। 5 विकास खण्ड ज्ञानपुर, औराई, सुरियावाँ, भदोही, एवं डीघ तथा दो नगर पालिकाएं – भदोही एवं गोपीगंज तथा 5 नगर पंचायतें (टाउन एरिया) नई बाजार, सुरियावाँ, ज्ञानपुर, खमरिया एवं घोसियां अवस्थित है।

प्रशासनिक इकाईयों का विवरण सारिणी 1.1 में दिया गया है।

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

1.	तहसील	2	
2.	ब्लाक	5	
3.	न्याय पंचायतें	79	
4.	ग्राम सभाऐं	487	
5.	राजस्व ग्राम	आवाद	1075+149
		गैर आवाद	1224
6.	बस्तियों की संख्या	1075	
7.	नगरीय क्षेत्र	01	
8.	नगर निगम	--	
9.	नगर महापालिका	--	
10.	नगर पालिका	02	
11.	टाउन एरिया	06	
12.	वार्ड	107	

स्रोत – जिला सांख्यिकी पत्रिका, 1996

सारणी 1.2

विकास खण्डवार जनसंख्या विवरण

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	1991 की जनगणना								2001 की अवुनावित जनसंख्या					
		कुल जनसंख्या				अनु0 जाति की कुल जनसंख्या				कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	%	पुरुष	महिला	योग	%	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	ज्ञानपुर	98631	88727	187358	14.4	19984	17789	37773	20.16	120329	108286	228675	24380	21702	46082
2.	औराई	113242	98807	212049	19.7	27495	24030	51525	24.29	138155	120545	258700	33544	29317	62861
3.	भदोही	101814	92631	194445	18.0	24220	21702	45922	23.61	124213	113009	237222	29548	26476	56024
4.	सुरियावाँ	83658	75021	161679	15.0	20461	18498	38959	24.09	102063	95186	197249	24962	22567	47529
5.	डीघ	96161	86703	182864	17.0	22117	19942	42059	23.00	117317	105798	223109	26983	24333	51316
6.	नगर क्षेत्र	72458	68040	140498	13.0	11192	9508	20700	14.70	88408	83002	171410	13667	11611	25278
	योग	565964	512929	1078893		125469	111329	236798	21.90	690485	625786	1316271	153084	136006	28909

स्रोत – जिला सांख्यिकी पत्रिका, 1996

नोट : वर्ष 2001 के जनगणना वि0 खण्डवार व जातिवार सारणी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

कालीन उद्योग यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। जहाँ से कालीन विदेशों को निर्यात की जाती है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन होना, साक्षरता की दर का कम होना, अध्यापकों की कमी का होना, शिक्षा के प्रति जागरूकता के अभाव का होना, कृषि कार्य के समय जैसे धान की रोपाई एवं गेहूँ की मड़ाई के समय पिछडें वर्ग एवं अनुसूचित जाति के बच्चों को गृह कार्य में लगा रहना जनपद के शैक्षणिक विकास में प्रमुख बाधाऐं है।

अधिकतम बच्चों का झुकाव कालीन की ओर बचपन से ही लगा होता है जो अपने घर के अर्थोपार्जन में मदद करते है। इस लिए यहाँ बाल श्रमिकों एवं कानकाजी बच्चों की समस्या गम्भीर है।

कृषि के अतिरिक्त इस जनपद का मुख्य क्रिया कलाप कालीन निर्माण करना है। भदोही एवं आसपास में कार्पेट बेल्ट में लगभग 1 लाख कालीन करघे तथा 50 हजार दरी करघे कार्यरत हैं जिसमें विभिन्न वय वर्ग के बालक बालिकाएं इन कार्य में सहयोग करते हैं, जिनकी पतली उंगलियों से अनेक कलाऐ विकसित होती हैं। वास्तव में जनपद भदोही कालीन बुनकरों का घर है। कालीन उद्योग मुख्य धन्धा होने के साथ-साथ कुटीर उद्योग भी है। इस कार्य में अधिकांश पिछड़े, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लगे हुए हैं।

वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1078893 थी जिसमें 565964 पुरूष तथा 512929 महिलाएं थीं। जनसंख्या घनत्व 1021 प्रति वर्ग किमी0 था। लिंग अनुपात प्रति एक हजार पुरूष पर 896 स्त्रियों का था। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21.8 प्रतिशत थी। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 939395 थी जो जनपद की जनसंख्या का 87 प्रतिशत थी तथा शहरी जनसंख्या 139238 थी जो जनपद की कुल जनसंख्या का 13 प्रतिशत थी। 32.45 प्रतिशत ग्रामिण साक्षरता 29.6 प्रतिशत था तथा नगरीय साक्षरता 49 प्रतिशत थी।

वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1352056 है। जिसमें 704800 पुरूष 647256 महिलाएं हैं, 0-6 वर्ष के बच्चों को संख्या 262540 हैं जो कुल आबादी का 19.4% है। वृद्धिदर प्रतिवर्ष 2.3 है। लिंग अनुपात प्रति एक हजार पुरूष पर 918 महिला का है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 1409 प्रति वर्ग कि.मी. है।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना अक्टूबर 1993 से लागू हुई उस समय जनपद वाराणसी जनपद में ही सम्मिलित था। जनपद सृजन के बाद से योजना संत रविदास नगर भदोही से संचालित होना प्रारम्भ हुई।

परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कुल 230 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये तथा 62 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। परियोजना के अन्तर्गत जनपद में 730 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण हुआ। पेयजल व्यवस्था हुए 78 हैण्डपम्पों की स्थापना हुई, 161 शौचालयों की व्यवस्था भी परियोजना के अन्तर्गत विद्यालयों में दी गयी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के कारण जनपद के विद्यालयों में बच्चों के नामांकन दर में आशातीत वृद्धि हुई तथा ठहराव में भी अच्छा प्रभाव पड़ा।

बेसिक शिक्षा शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 79 संकुल विद्यालयों (एन.पी.आर.सी.) भवनों का निर्माण हुआ, इसी प्रकार से प्रत्येक विकास खण्ड में शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के लिए ब्लाक संसाधन केन्द्र बी.आर.सी. भवन का भी निर्माण कराया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जन सहभागिता द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा विदों के विचारों द्वारा शिक्षा स्तर में संतोषजनक प्रगति हुई तथा जिले के पिछड़े क्षेत्रों भी शिक्षा के प्रति रूचि प्रकट हुई।

साक्षरता दर –

जनपद संत रविदास नगर, भदोही की कुल साक्षरता दर 32.45 प्रतिशत है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर 60.50 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 17.50 प्रतिशत है। जनपद की साक्षरता दर निम्नवत है –

सारणी 2.1

जनपद की साक्षरता दर (1991)

कुल साक्षरता दर	32.45%
ग्रामीण साक्षरता दर	29.60%
नगरीय साक्षरता दर	49.00%
कुल पुरुष साक्षरता का प्रतिशत	60.50%
कुल महिला साक्षरता का प्रतिशत	17.50%
ग्रामीण साक्षरता (पुरुष)	60.00%
ग्रामीण साक्षरता (महिला)	10.80%
नगरीय पुरुष साक्षरता	64.20%
नगरीय महिला साक्षरता	39.40%

स्रोत – जनपद की सांख्यिकी पत्रिका

नोट : 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 59.14 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता दर 77.99 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 38.72 प्रतिशत हो गयी है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

सारणी 2.2

विकास खण्ड वार साक्षरता का प्रतिशत

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर			अनुसूचित जाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	औराई	46.00	11.40	30.00	--	--	--
2.	भदोही	61.30	12.60	30.20	--	--	--
3.	ज्ञानपुर	61.01	10.40	29.00	--	--	--
4.	डीघ	47.00	10.00	30.00	--	--	--
5.	सुरियावाँ	58.40	10.38	28.40	--	--	--

स्रोत – जनपद की सांख्यिकी पत्रिका

नोट : विकास खण्डवार जनगणना 2001 के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

सबसे कम पुरूष साक्षरता दर औराई विकास खण्ड (46%) की है तथा सबसे कम महिला साक्षरता दर डीघ विकास खण्ड (10%) की है। सबसे अधिक पुरूष साक्षरता दर विकास खण्ड भदोही (61.3%) का है तथा सबसे अधिक महिला साक्षरता दर (12.6%) भी भदोही विकास खण्ड की है।

नगर क्षेत्रवार साक्षरता का प्रतिशत

क्रमांक	नगर क्षेत्र	पुरुष	महिला	योग
1.	भदोही नगर पालिका	61.2	34.2	45
2.	खमरिया	62.3	37.4	48
3.	गोपीगंज	71.4	38.6	62
4.	सुरियावाँ	63.8	37.6	49
5.	घोसिया	57.2	32.6	41
6.	ज्ञानपुर	76.8	42.1	67
7.	नई बाजार	59.6	32.9	43

स्रोत – जनपद की सांख्यिकी पत्रिका

नोट : नगर क्षेत्र वार जनगणना 2001 के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

सबसे अधिक पुरूष साक्षरता 76.8 ज्ञानपुर टाउन एरिया की है। सबसे कम पुरूष साक्षरता 57.7 घोसियां टाउन एरिया की है। सबसे कम महिला साक्षरता 32.6 घोसियाँ टाउन एरिया की है। सबसे अधिक महिला साक्षरता 42.1 ज्ञानपुर टाउन एरिया की है।

शैक्षिक संस्थायें –

जनपद संत रविदास नगर भदोही में प्राथमिक परिषदीय एंवं मान्यता प्राप्त कुल 562 विद्यालय है। इसी प्रकार कुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय 184 है। माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 41 है। जनपद में हाईस्कूलों की संख्या 9 एवं इण्टर कालेजों की संख्या 32 है। जनपद में 4 डिग्री कालेज एवं 1 स्नाकोत्तर महाविद्यालय है। एक नवोदय विद्यालय भी जनपद में संचालित है। जनपद में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली दो संस्थाऐं भी है। जनपद में कुल 4 बाल श्रमिक विद्यालय भी चल रहे है। सभी संस्थाओं का विवरण सारिणी 2.3 में निम्नवंत् है–

सारणी 2.3

जिले में स्थित शैक्षिक संस्थायें

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	471	26	497	80	15	95	551	41	542	17	06	23
2.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (अनुभाग से सम्बद्ध)	128	08	136	45	12	58	174	20	194	–	–	–
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग (अनुदानित)	09	04	13	23	04	27	32	8	40	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	–	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हाईस्कूल	–	01	01	09	–	09	09	01	10	–	–	–
8.	इण्टरमीडिएट	–	01	01	22	09	31	22	10	32	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	–	–	–	04	–	04	–	01	01	–	–	–
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	01	01	–	–	–	–	01	01	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी./पालीटेक्निक)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

क्रम	विवरण	परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	बसरीय	योग	ग्रामीण	बसरीय	योग	ग्रामीण	बसरीय	योग	ग्रामीण	बसरीय	योग
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	02	02	–	02	02	–	–	–
14.	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	–	–	–	160	–	160	160	–	160	–	–	–
15.	मकतब / मदरसे	01	–	01	10	06	16	11	06	17	–	–	–
16.	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	12	02	14	12	02	14	–	–	–
17.	विकलांग संस्थायें (मूक बधिर विद्यालय)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	04	–	04	04	–	04	–	–	–

स्रोत – शैक्षिक आकंड़े

विद्यालयों की उपलब्धता –

जनपद में कुल 497 प्राथमिक विद्यालय एवं 136 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। माइक्रोप्लानिंग के आधार पर कुल 18 प्राथमिक विद्यालय एवं 119 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है। सारणी 2.4 एवं 2.5 पर विकास खण्डवार विवरण संलग्न है।

सारणी 2.4

विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि.मी. से कम दूरी पर	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	जनपद की साक्षरता दर 1991
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	71	148	278
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	–	–	–

स्रोत – शैक्षिक आकंड़े

सारणी 2.5

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या जहाँ आबादी 300 से अधिक है तथा 1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर हैं
1.	औराई	04
2.	सुरियावाँ	06
3.	ज्ञानपुर	03
4.	भदोही	03
5.	डीघ	05
6.	नगर पालिका भदोही	00
	योग	18

जिन बस्तियों की आबादी 300 से अधिक है और वे बस्तियाँ विद्यालय से अधिक दूरी पर है। सर्वेक्षण के अनुसार ऐसी कुल बस्तियाँ 100 हैं, इन बस्तियों के 30 से 55 बच्चे तक किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाते, उन बस्तियों में नवीन विद्यालय खुलने के स्थान पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोलने की योजना है।

सारणी 2.6

परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्रम	विकास खण्ड का नाम	ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	3 कि.मी. से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक/अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1.	औराई	253	08	34	27
2.	सुरियावाँ	199	00	31	19
3.	ज्ञानपुर	99	09	23	30
4.	भदोही	244	06	38	25
5.	डीघ	148	03	33	16
6.	नगर पालिका भदोही	20	04	03	02
	योग	938 ग्राम 25 बस्ती 963	30	162	119

शिक्षकों की उपलब्धता –

शिक्षकों की उपलब्धता का विवरण निम्नवत् है –

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 2495 पद सृजित हैं जिसमें 1548 शिक्षक कार्यरत है एवं 947 पद रिक्त है। स्वीकृत शिक्षामित्रों की संख्या 197 है। उच्च प्राथमिक स्तर 693 पद सृजित है, 469 शिक्षक कार्यरत है। 224 पद रिक्त है। विवरण निम्नवत् है।

सारणी 2.7

जनपद में शिक्षकों की उपलब्धता

	सृजित	कार्यरत	रिक्त (01.07.2000)	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्रा0 विद्यालय	2495	1548	947	197
परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय	693	469	224	–

स्रोत – विभागीय आकंड़े

नामांकन –

जनपद में छात्र नामांकन की स्थिति/विवरण निम्नवत् है –

सारणी 2.8

छात्र नामांकन प्राथमिक स्तर

वर्ष	बालक	बालिका	योग	वृद्धि दर
1997-98	79994	46940	126934	–
1998-99	84304	53246	137550	8.36%
1999-2000	91337	64993	156330	13.6%
2000-2001	93833	73305	167138	6.91%

विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 01.01.2001 की स्थिति) –

जनपद संत रविदास नगर भदोही , में विद्यालयों में भौतिक सुविधाऐं इस प्रकार है। जनपद में कुल एक कक्षीय विद्यालय 3 है दो कक्षीय विद्यालय 34 तथा तीन कक्षीय 223, चार कक्षीय 161 तथा 5 कक्षीय 52 एवं 5 कक्षीय से अधिक 25 प्रा0 वि0 है।

इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर कुल मरम्मत योग्य विद्यालय 255 है जिसमें 154 लघु मरम्मत एवं 101 का वृहत मरम्मत होना है।

जनपद में शौचालय युक्त प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 153 है एवं शौचालय विहीन विद्यालयों की संख्या 326 है। विकास खण्ड वार विवरण निम्नवत है –

सारणी 2.9

विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधायें

क्रम सं.		औराई	सुरियावाँ	ज्ञानपुर	डीघ	भदोही	योग	नगर पालिका भदोही	योग
1.	प्राथमिक वि0	110	85	100	88	100	483	14	497
2.	एक कक्षीय	0	1	0	0	0	1	2	3
	दो कक्षीय	8	4	0	7	12	31	3	34
	तीन कक्षीय	60	41	21	44	52	218	5	223
	चार कक्षीय	23	26	64	20	27	160	1	161
	पाँच कक्षीय	11	8	9	15	9	52	0	52
	पाँच कक्षीय से अधिक	8	5	6	2	0	21	4	25
3.	**मरम्मत योग्य**								
	▪ लघु	23	61	35	08	27	154		255
	▪ वृहद	8	16	20	48	9	101		
4.	शौ0 विहीन	63	49	49	77	88	320	0	
5.	है0प0 विहीन	10	0	6	3	3	22	0	
6.	च0ह0 विहीन	106	84	88	78	95	463	0	

स्रोत – विभागीय आकंड़े

जनपद संत रविदास नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 136 है, जिसमें 132 भवन युक्त तथा 4 भवनहीन विद्यालय है। विवरण विकास क्षेत्रवार निम्नवत् है।

सारणी 2.10

उच्च प्राथमिक स्तर भवन विवरण

क्रम सं.		सुरियावाँ				ज्ञानपुर				डीघ				भदोही				औराई				नगर पालिका भदोही				योग			
		स.	भ.यु.	भ.वि.	जर्जर	स.	भ.यु.	भ.वि.	जर्जर	स.	भ.यु.	भ.वि.	जर्जर	स.	भ.यु.	भ.वि.	जर्जर	स.	भ.यु.	भ.वि.	जर्जर	स.	भ.यु.	भ.वि.	जर्जर	स.	भ.यु.	भ.वि.	जर्जर
1.	उच्च प्राथमिक वि0	25	25	--	--	24	22	2	--	28	27	1	--	28	28	--	--	30	29	1	--	1	1	--	1	136	132	4	3
2.	एक कक्षीय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	दो कक्षीय	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	तीन कक्षीय	2	--	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
	चार कक्षीय	13	--	--	--	23	--	--	--	12	--	--	--	16	--	--	--	16	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	--
	पाँच कक्षीय	7	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--	4	--	--	--	3	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--
	पाँच कक्षीय से अधिक	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	10	--	--	--	1	--	--	--	19	--	--	--
3.	मरम्मत योग्य																												
	▪ लघु	16	--	--	--	10	--	--	--	3	--	--	--	5	--	--	--	3	--	--	--	1	--	--	--	37	--	--	--
	▪ वृहद	3	--	--	--	4	--	--	--	1	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	12	--	--	--
4.	शौ0 विहीन	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--	--	--
5.	है0प0 विहीन	1	--	--	--	1	--	--	--	3	--	--	--	1	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	8	--	--	--
6.	च0ह0 विहीन	22	--	--	--	18	--	--	--	25	--	--	--	22	--	--	--	26	--	--	--	--	--	--	--	113	--	--	--

स्रोत – विभागीय आकंड़े

सारणी 2.11

वर्तमान में विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की माँग/कमी

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	18	—	18	119	—	119
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	36	—	36	5	—	5
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	328	—	328	116	—	116
4.	पेयजल सुविधा	22	—	22	8	—	8
5.	शौचालय	326	—	326	6	—	6
6.	चाहारदीवारी	460	—	460	113	—	113

स्रोत– विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित हुये है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद–सन्त रविदास नगर (भदोही)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
कक्षा 1	32962	34105	35318	39029
कक्षा 2	30872	31798	35412	35585
कक्षा 3	25641	29320	33299	34728
कक्षा 4	19359	23263	28263	30514
कक्षा 5	18099	18794	24038	27282
योग	126933	137280	156330	167138
जी0ई0आर0				
कुल	80.20	84.93	92.81	99.91
बालिका	69.34	76.06	82.25	92.74
एन0ई0आर0				
कुल	76.18	81.32	89.82	98.68
बालिका	65.18	72.71	79.51	91.43

जनपद के नामांकन में औसतन 10.5 % की अभूतपूर्व वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के लगभग बराबर हो रहा है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	373	497	33
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	1685	2495	48

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 4.7 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	1.65	4.46	8.83	2.66	16.8	19.3
1999	0.50	0.50	2.70	0.50	-	-
2000	0.50	1.96	7.35	2.55	12.1	11.0

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 16.8 प्रतिशत से घटकर 12.1 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	1.21	5.61
1999	1.96	5.23
2000	1.87	5.52

रिपीटीशन दर मात्र 1.87 है जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 5.5 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — 1:79

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — 7.50

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — 1:67

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:79 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्ष–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:67 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–सन्त रविदास नगर (भदोही)

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	9705	8936	8067	26708	-
1999-2000	10845	9650	9432	29927	12.1
2000-2001	12655	10648	9085	32388	8.2

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असंवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	15200	9705	-
1999-2000	17556	10845	71.3
2000-2001	20446	12655	72.1

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण लगभग 28% बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	102	136	33
उच्च प्राथमिक अध्यापक	577	693	20

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	482	135	42	177	2.7 : 1
नगर क्षेत्र	12	1	4	5	3 : 1
योग	**494**	**136**	**46**	**182**	**2.7 : 1**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:2.7 है।

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सबसे निचले स्तर (बस्ती) पर विशेष बल दिया गया है और बस्ती को ही इकाई मान कर नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। अन्य योजनाओं में उपर से नीचे की ओर विशेष बल दिया जाता रहा है। इस योजना में नीचे से ऊपर की ओर नियोजन पर विशेष बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में जन समुदाय की सहभागिता पर विशेष बल दिया गया है। इसमें 9 से 14 वयवर्ग (कक्षा 6 से 8 तक) के बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है जब कि अन्य योजनाओं में केवल प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आँकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994–95 में तथा दूसरा चरण 1998–2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आँकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गईं।

- ग्राम में 6–11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण

- यदि ग्राम में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र–अध्यापक अनुपात क्या है?
- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गईं।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरुष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन

सूचनाआ का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है। नगर क्षेत्र में यूनीसेफ द्वारा कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण कराया गया है और उससे प्राप्त आँकड़ों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान में किया जायगा

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान

उत्तर प्रदेश बसिक परियोजना के अन्तर्गत जुलाई 2000 में विद्यालय में छात्र नामांकन बढ़ाने हेतु 'स्कूल चलो अभियान' का कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 8 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी इसमें विशेष रूप से उन बच्चों का चिन्हित किया गया जो विद्यालय नही जाते थे। चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु 9 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष नामांकन अभियान चलाया गया। बच्चों के नामांकन दर को प्रभावी बनाने के लिए 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किये गये। इन कार्यक्रमों में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी, नाटक, कठपुतली, नाटक, रैली आदि का आयोजन किया गया।

'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने विशेषकर बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर बल दिया जाता है और तद्नुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है, जिसके लिये सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते है। आगे भी 'स्कूल चलो अभियान' में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा ताकि नामांकित बालिकायें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ही विद्यालय छोड़ें।

'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अभियान से सम्बन्धित नारे एवं बैनर पोस्टर का प्रदर्शन किया गया जनपद में विभिन्न प्रमुख स्थलों से अभियान सम्बन्धी रैली भी निकाली गयी। स्कूल चलों अभियान के कारण सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई क्योंकि अभियान के कारण जनजागरूकता एवं जनसहभागिता का वातावरण जिले स्तर पर, ब्लाक स्तर पर तथा न्याय पंचायत स्तर पर पहले से ही बना हुआ था। 'स्कूल चलो अभियान' का भदोही जिले में जिस प्रकार आयोजन किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार किया गया।

दिनांक 7 जुलाई 2003 को जनपद के प्रभारी मंत्री माननीय श्री अमर मणि त्रिपाठी ने काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भदोही के सभागार में 'स्कूल चलो अभियान' का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होने एक विशाल रैली को सम्बोधित किया। इस रैली में गृह राज्य मंत्री माननीय रंगनाथ मिश्र जिला अधिकारी एवं अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विकास खंड, न्याय पंचायत तथा सभी 487 ग्राम सभाओं में 'स्कूल चलो अभियान' के अन्तर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये और प्रत्येक परिवार से सम्पर्क स्थापित किया गया। निम्न सारणी में उक्त अभियान की उपलब्धियाँ दर्शायी गई हैं :–

'स्कूल चलो अभियान' में नामांकन के लक्ष्य/उपलब्धि

क्रमांक	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सामान्य	5310	3481
2.	पिछड़ी जाति	9785	7410
3.	अल्प संख्यक	772	554
4.	अनुसूचित जाति	5578	3942
	योग	21445	15387

'स्कूल चलो अभियान' के पश्चात केवल 6058 बच्चे स्कूल न जाने वाले बच्चों की श्रेणी में अवशेष रह गये जिन्हे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

इस जनपद में सर्वशिक्षा अभियान की योजना तैयार करने हेतु नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ की गयी। सभी कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से करने हेतु जिले में एक कोर टीम बनायी गयी जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा डायट वाराणसी के प्रतिनिधि रखे गयें। इस टीम का प्रशिक्षण सीमेंट, इलाहाबाद द्वारा किया गया। उपरोक्त टीम के विभिन्न सदस्यों ने जिला पंचायत, विधायकों, शिक्षक समुदाय आदि से गहन विचार विमर्श किया, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई बस्तियों के निवासियों से वार्ता की गयी, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाऐं भी सम्मिलित थी। अनु0 जाति महिला प्रधान एवं अल्प संख्यक वर्ग के लोगों तथा अभिभावकों से भी वार्ता की गयी।

इन बैठकों में (F.G.D.) में उठाये गये मुद्दे निम्न सारिणी में दिये गयें है–

सारणी 3.1

जिले स्तर पर (F.G.D.)

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैटक/विचार–विमर्श में जो बिन्दु उभरे, उनका संक्षिप्त विवरण
13.02.2001 :	जिला कलेक्ट्रेट सभागार	जनपद के समस्त विभागों के अधिकारीगण संख्या 16 स्वैच्छिक संगठन (N.G.O.) बालाधिकार परियोजना	अध्यापकों की कमी। विकलांग स्कूल स्थापना बाल श्रमिक एवं सड़क छात्र/घूमन्तू बच्चों हेतु जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्थापना पर जोर दिया गया। असेवित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना। बालिका शिक्षा हेतु नजदीकी विद्यालयों की स्थापना।
14.2.2001	जिला पंचायत सभागार	जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समस्त सदस्यगण, जिला विद्यालय निरीक्षक, सांसद माननीय फूलन देवी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुल संख्या–15	विभिन्न विकास खण्डों में बालिका शिक्षा हेतु स्थानीय शिल्प को जोड़ा जाय। मलिन बस्तियों एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियों में अलग से विद्यालय खोला जाय तथा उसी मलिन बस्ती के पढ़े–लिखे पुरूष एवं महिला को शिक्षक के रूप में रखा जाय।
27.2.2001	बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय	मा0 विधायक श्री पूर्णवासी पंकज, मा0 रंगनाथ मिश्र के प्रतिनिधि श्री शिवशंकर दूबे, श्री रामरति बिन्द, मा0सांसद फूलन देवी के प्रतिनिधि कुल संख्या–6	अध्यापक संख्या मानक के अनुसार होनी चाहिए। अभिभावकों को बैठक प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को पूरे जनपद में की जाय। दो प्राथमिक विद्यालयों के बीच में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोला जाय। कन्या पाठशाला में केवल महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।
27.2.2001	बी0आर0सी0 ज्ञानपुर	शिक्षक संगठन समूह के लोग कुल संख्या–8	विद्यालय का वातावरण आकर्षण बनाया जाय। विद्यालयों में खेल–कूद संसाधनों में वृद्धि किया जाय। विद्यालय में स्थानीय परिवेशानुसार स्थानीय शिल्प का समायोजन किया जाय। ग्राम शिक्षा समितियों को जागरूक बनाया जाय।

सारणी 3.2

तिथि	विकास क्षेत्र का नाम	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक / विचार–विमर्श में जो बिन्दु उभरे, उनका संक्षिप्त विवरण
13.02.01	सुरियावाँ	नीबी चौर बौरी बोझ	प्रधान, उप प्रधान, अनु0 जाति, मान0 संभ्रांत व्यक्ति कुल संख्या – 20	महिलाओं की स्थिति अच्छी न होने के कारण बालिका शिक्षा वांक्षित प्रगति नपहीं कर पा रही हैं। बालिका दर को बढ़ाना, असेवित ग्रामों में प्रा0 विद्यालय खोलना, अध्यापकों की समय से उपस्थिति दर्ज करना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना, नवचार शिक्षा हेतु प्रोजेक्ट लाना।
15.2.01	सुरियावां	करियावं	ग्राम प्रधान, उपप्रधान महिला सदस्य, अनु0जाति की महिलायें। अन्य नवयुवक जो शिक्षा में रुचि रखते हैं। संख्या 18	बालिका शिक्षा पर विशेष बल देने की बात कही गयी। प्रत्येक बालिका को विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु शिक्षा समिति को उत्तरदायित्व देने को कहा गया। अध्यापक की कमी की ओर भी इंगित किया गया।
15.2.01	औराई	कुरौना, सायर	ग्राम प्रधान, उपप्रधान शिक्षा समिति के सभी सदस्य, महिलायें, अनु0जाति की महिलायें अभिभावकगण कुल संख्या–15	प्रा0 स्तर पर सभी बालकों / बालिकाओं का प्राप्त प्रतिशत नामांकन कराना, अध्यापकों की कमी को दूर करना। सभी विद्यालयों में कम से कम एक महिला अध्यापिका की नियुक्ति बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, वस्त्र आदि दिये जाय। असेवित बस्तियों में प्रा0वि0 की स्थापना।
15.2.01	औराई	घमहापुर	ग्रामप्रधान, अनु0जाति की महिलायें महिला सदस्य ग्राम के नवयुवक जो शिक्षा में रुचि रखते हैं संख्या–17	अध्यापकों की समय से विद्यालय पर उपस्थिति दर्ज करना। बालिकाओं के लिए कार्यानुभव योजना बनाना।
15.2.01	भदोई	बभनौटी बीसापुर, रोटहां	प्रधान, उपप्रधान, सदस्य अनु0जाति की महिलायें, सम्मानित ग्रामीण, अल्प संख्यक समूह के सदस्यगण। संख्या–20	बाल श्रमिकों की समस्या / कालकाजी बच्चों की शिक्षा के संबंध में चिंताप्रकट किया गया और इन बालकों में शिक्षा हेतु अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गयी।

तिथि	विकास क्षेत्र का नाम	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक / विचार–विमर्श में जो बिन्दु उभरे, उनका संक्षिप्त विवरण
15.2.01	ज्ञानपुर	ख्योखर, कांवल, चककिशुन दासपुर	प्रधान, उपप्रधान, सदस्य, अनु0महिला, अन्य महिलायें, ग्रामशिक्षा समिति के सदस्य, अभिभावक और ग्राम की शिक्षित महिलायें। संख्या–23	अल्पसंख्यक बस्ती के जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों में बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। अध्यापकों को समय से विद्यालय आने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं हेतु विद्यालय की नजदीकी स्कूल व्यवस्था। निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था।
15.2.01	डीघ	कोनिया, छेछुआ, कलनुआ	प्रधान, उपप्रधान, महिला सदस्य, अनु0महिला, ग्राम शिक्षा समिति	बालिकाओं की साक्षरता दर एवं शिक्षा स्तर बढ़ाना। महिलाओं की स्थिति अच्छी न होने के कारण बालिका शिक्षा वांछित प्रगति नहीं कर पा रही है।
15.02.01	नगर पालिका भदोही	मामदेवपुर वार्ड नं0 2	सभासद, नगर अध्यक्ष, शिक्षाविद, महिलायें।	बालिका शिक्षा के प्रति उदासी दूर किया जाना आवश्यक है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नजदीकी बालिका विद्यालय खोलना, कार्यानुभव योजना लागू करना। नगर में बाल श्रमिकों / कामकाजी बच्चों की शिक्षा पर चिन्ता जातायी गई। इन बच्चों की शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित किये जाने पर जोर दिया गया।

ब्लाक के विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर Dropout दर सबसे अधिक हो, उन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स वैकल्पिक शिक्षा की सुविधा मुहैया कराया जाय।

बालिकाओं के लिए जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवन जीने की कला, औपचारिक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा (बेकरी, सिलाई–कढ़ाई, पाक केन्द्र, फल संरक्षण आदि) की व्यवस्था करना उचित होगा।

उपर्युक्त विचार ब्लाक के जन प्रतिनिधियों ब्लाक प्रमुख, शिक्षाविद् समुदाय के अग्रणी व्यक्ति, विभिन्न व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के प्रतिनिधियों द्वारा की गयी।

सोशल एसेसमेन्ट स्टडी में निकले [redacted]ष्कर्ष–

1. अनाकर्षक विद्यालय वातावरण : विद्यालयों का वातावरण आकर्षणयुक्त बनाने की आवश्यकता है। चहारदीवारी, पुष्पवाटिका, शौचालय, हैण्डपंप का होना आवश्यक है।

2. अपर्याप्त एवं योग्य शिक्षकों का अभाव हैं : अधिकांश विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक कार्यरत नहीं है ओर जो अध्यापक कार्यरत हैं, वे दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शैक्षिक विधा का कक्षा में सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते।

3. परम्परागत विधियों का प्रयोग : अध्यापक अब भी नयी विधियो का प्रयोग न करके पुरानी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं ।

4. निरीक्षण प्रणाली का असहयोगात्मक रूख : निरीक्षक वर्ग के अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण विधिवत निरीक्षण नहीं किया जाता जिससे गुणवत्ता मे अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता ।

5. विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव है ।

6. समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपने बच्चों को विद्यालय में न भेजकर घर के कार्यो में ही लगाये रखते हैं ।

7. जनपद भदोही, कालीन उद्योग का प्रमुख केन्द्र है । अधिकांश बच्चे धनोपार्जन हेतु इस उद्योग में कार्य करते हैं और विद्यालय नहीं जा पाते ।

8. वर्ण एवं जाति व्यवस्था : समाज में वर्ण व्यवस्था एंव जातिवाद के कारण कतिपय लोग अपने बच्चे को विद्यालय में भेजना उचित नहीं समझते हैं।

9. पुरुष सत्तायुक्त समाज : पुरुष सत्तायुक्त समाज होने के कारण समाज में महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक नहीं समझते। केवल घर के कार्यो में दक्ष बनाना परम्परा सी बन गयी है।

उपरोक्त निष्कर्षों को कार्यक्रम तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय:

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.3 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण / नगरीय, अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेंथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – भदोही

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01 :	105765	95691	201456	87785	79424	167208	83
2001-02	108198	97892	206089	98460	89082	187541	91
2002-03	110686	100143	210830	109579	99142	208721	99
2003-04	113232	102447	215679	121158	109618	230776	107
2004-05	115836	104803	220639	129737	117379	247116	112
2005-06	118500	107213	225714	136276	123295	259571	115
2006-07	121226	109679	230905	141834	128325	270159	117
2007-08	124014	112202	236216	147577	133520	281097	119
2008-09	126867	114783	241649	152240	137739	289979	120
2009-10	129784	117423	247207	155741	140907	296648	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – भदोही

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	44009	39818	83827	31246	28271	59517	71
2001-02	45021	40734	85755	34216	30958	65174	76
2002-03	46057	41671	87727	37306	33753	71059	81
2003-04	47116	42629	89745	40991	37087	78078	87
2004-05	48200	43610	91809	44344	40121	84465	92
2005-06	49308	44613	93921	47829	43274	91103	97
2006-07	50442	45639	96081	51451	46551	98003	102
2007-08	51603	46688	98291	54183	49023	103205	105
2008-09	52789	47762	100552	57013	51583	108596	108
2009-10	54004	48861	102864	58324	52770	111093	108

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	12	19
2001-02	10	17
2002-03	8	15
2003-04	6	13
2004-05	4	10
2005-06	2	8
2006-07	0	6
2007-08	0	4
2008-09	0	2
2009-10	0	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय – 5

समस्यायें एवं रणनीतियाँ –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने हेतु अपनायी गयी। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों, महिलाओं आदि से समूह चर्चा की गयी जिसके आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्याएँ व मुद्दे निम्नवत् उभर कर आये। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीति भी इंगित की जा रही है।

समस्यायें / मुद्दे	रणनीति
1	2
शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी समस्या	
1. असेवित बस्तियां रहने के कारण बच्चों की शिक्षा में बाधा आती है ।	1. जनपद में ब्लाकवार असेवित वस्तियों/ग्रामों को चिन्हित कर कुल 18 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना बनायी गयी है। इसमें द्वितीय वर्ष में 10 विद्यालय तथा तृतीय वर्ष में 8 विद्यालय खोलने की योजना है।
2. प्राथमिक विद्यालयों के बीच में उपयुक्त संख्या में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का न होना।	2. जनपद में मानक के अनुसार कुल 119 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना बनायी गयी है। द्वितीय वर्ष 60 विद्यालय, तृतीय वर्ष में 40 विद्यालय तथा चतुर्थ वर्ष में 19 विद्यालयों के खोलने की योजना प्रस्तावित है।

1	2
3. बालिकाओं की शिक्षा में वांछित प्रगति नहीं हो रही है।	3. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सामाजिक जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रयास किये जायेंगे, ताकि समाज में जागरूकता आ सके। जिले में ड्राप आउट दर रोकने के लिए तथा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नगर क्षेत्र में नवाचार शिक्षा केन्द्र के अतिरिक्त उपरोक्त 119 उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे से 40 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना है।
4. बाल श्रमिकों एवं कामकाजी बच्चों की शिक्षा में अनेक कठिनाई हैं और वे शिक्षा से वंचित रहते हैं।	4. बाल श्रमिकों/कामकाजी बच्चों/ सड़क छाप बच्चो आदि के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त जनपद स्तर पर एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना है।
नामांकन सम्बन्धी	
1. ग्रामीण क्षेत्रा में बालिकायें प्रवेश नहीं ले पाती चूंकि उन्हें गृह कार्य में लगना पड़ता है तथा छोटे भाई–बहनों की देखरेख करनी पड़ती है।	1. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत विद्यालय खोलने की योजना है।असेवित बस्तियों एवं गाँवों में नवीन विद्यालयों के खोलने की योजना बनायी गयी है जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से 2003 तक नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य है तथ ई0जी0सी0ई0 सेन्टर स्कूल के साथ खेले जायेंगे ताकि छोटे भाई–बहन इस केन्द्र में आ सकें।

1	2
2. विद्यालय में स्थानीय समुदाय की जवाबदेही निश्चित नहीं की गयी है।	2. शिक्षा समिति को सक्रिय प्रशिक्षण के माध्यम से सक्रिय बनाने की योजना है जिसमें स्थानीय अभिभावकों एवं जागरूक महिलाओं से भी सहयोग लिया जायेगा। स्थानीय सामुदायिक सहभागिता पर बल दिया जायेगा।
3. अध्यापक अभिभावक में सम्पर्क की कमी।	3. प्रत्येक माह में अध्यापक–अभिभावक संगोष्ठी ग्रामवार पूरे जनपद में एक ही तिथि में कराने की योजना है।इससे अभिभावक–अध्यापक सम्पर्क बढ़ेगा तथा शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त होगा।
	4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की भी योजना है।
ठहराव सम्बन्धी समस्या	
1. मानक के अनुसार अध्यापक का न होना।	1. विद्यालय में यथा सम्भव मानक के अनुसार अध्यापक/शिक्षामित्र देने की योजना की गयी है। इससे बच्चों के ठहराव में वृद्वि होगी।
2. विद्यालय स्तर पर स्थानीय शिल्प के समावेश का न होना।	2. विद्यालय स्तर पर वहाँ के परिवेश के अनुसार स्थानीय शिल्प के समावेश योजना बनायी गयी है। इससे बालिकाओं के ठहराव में वृद्वि होगी।

1	2
3. विद्यालय में कमजोर वर्ग, अनु0 जाति एवं अल्प संख्यक बच्चों पर अधिक ध्यान न दिया जाना।	3. कमजोर वर्गों अनु0 जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चो पर विशेष ध्यान देने के लिए जन जागरण अभियान चलाने की योजना बनायी गयी है। इस तरह इन बच्चों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसमें ग्राम शिक्षा समिति का पूर्ण सहयोग लिया जायेगा।
गुणवत्ता सम्बन्धी समस्या	
1. अभिप्रेरणा की कमी।	1. अध्यापकों के लिये प्रत्येक वर्ष 10 दिवसीय प्रशिक्षण की योजना बनायी गयी है। प्रशिक्षण के अनुरूप शिक्षण कार्य पर बल दिया जायेगा तथा प्रत्येक माह 10 प्रतिशत विद्यालयों की गुणवत्ता की जाँच विभिन्न अधिकारियों द्वारा की जायेगी। गुणवत्ता सुधर हेतु डायट का भी सहयोग लेने की योजना बनायी गयी है।
2. विद्यालय में शिक्षण सामग्री का अभाव का होना।	2. विद्यालय में शिक्षण के समय आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक सहायक शिक्षण सामग्रियों के समावेश की योजना है।
3. शैक्षिक स्तर का ठीक न होना।	3. शैक्षिक स्तर में वृद्धि हेतु बच्चों को स्तरानुकूल जानकारी देने पर विशेष बल दिये जाने की योजना बनायी गयी है।
	4. अध्यापकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्यो में न लगाये जाने पर विशेष बल देने की योजना है।

1	2
संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी समस्याऐं	
1. विद्यालय में आकर्षित वातावरण का न होना एवं भौतिक संसाधनों की कमी का होना।	1. विद्यालयों में आकर्षित वातावरण बनाने हेतु उनके भौतिक संसाधनों को मुहैया कराने की योजना।
2. खेल–कूद को विशेष महत्व न दिया जाना।	2. विद्यालय में खेलकूद पर विशेष ध्यान देने हेतु कार्यक्रम बनाया जायेगा। विद्यालयों में खेल–कूद की सामग्री भी उपलब्ध कराने की योजना है। शारिरिक शिक्षा (D.P.Ed.) में प्रवीण अध्यापकों द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देने की योजना है।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार : नवीन विद्यालय

असेवित बस्तियाँ –

इस जनपद में राज्य सरकार के मानक के अनुसार केवल 18 असेवित बस्तियाँ हैं जिनमें नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की संख्या निम्नवत् है –

सारणी 6.1

प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यालय

क्र.स.	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियाँ जिनमें नवीन विद्यालय प्रस्तावित हैं
1.	औराई	04
2.	सुरियावां	03
3.	ज्ञानपुर	03
4.	भदोही	03
5.	डीघ	05
6.	नगर पालिका भदोही	00
	योग	18

स्रोत – विभागीय आकंड़े

जनपद में कुल 497 प्राथमिक विद्यालय हैं और 18 नवीन विद्यालय खोलने की योजना है। इस प्रकार जनपद में कुल 515 विद्यालय हो जायेंगे।

विद्यालय भवन का स्थल चयन एवं निर्माण कार्य सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत द्वितीय वृत्तीय वर्ष में 10 प्राथमिक विद्यालय तथा तृतीय वर्ष में 8 प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण की योजना है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11491
DOC, No.....
Date 09-07-2002.

अध्यापकः

उपरोक्त प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार एक अध्यापक एवं एक शिक्षा मित्र रखें जाने की योजना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 18 अध्यापक एवं 18 शिक्षा मित्र की नियुक्ति प्रस्तावित है। इस प्रकार विद्यालयों में दो वर्ष में उपरोक्त अध्यापक नियुक्ति किये जाने की योजना प्रस्तावित है। जिससे भवन निर्माण पूरा किया जा सके। चूँकि प्रस्तादित विद्यालय के भवन दूसरे वर्ष तैयार हो जायेगें इसलिए शिक्षा मित्र का प्रस्ताव दूसरे वर्ष में किया गया है।

शिक्षण–सामग्रीः

प्राथमिक स्तरः– इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बौद्धिक खेलकूद ब्लाक, खिलौने, गिनी टूल्स, किट, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र जनपद, मानचित्र प्रदेश शैक्षिक चार्ट, ग्लोब इत्यादि मुख्य हैं। सभी सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के माध्ययम से क्रय की जायेगी।

काष्ठोपकरणः

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक के हिसाब कुर्सी एवं मेज का क्रय किया जायेगा। उपर्युक्त सामग्रियों का क्रय ग्राम शिक्षा समिति के माध्ययम से किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरः

शिक्षण–सामग्रीः

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्न लिखित शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है–

1. प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की दो प्रातियां।
2. कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तको का एक सेट
3. अध्यापक संदर्शिकाओं का एक सेट
4. शब्दकोष – हिन्दी, अग्रेजी–2
5. एटलस
6. अध्यापकों के लिए विश्व कोष।

इसी प्रकार तीसरे वर्ष में निर्मित होने वाले 40 विद्यालयों हेतु 40 अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिससे भवन निर्माण का कार्य पूरा हो सके।

चतुर्थ वर्ष 40 x 4 = 160 अध्यापकों की आवश्यकता होगी

इसी प्रकार चतुर्थ वर्ष में निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण कार्य हेतु 19 अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

: भवन निर्मित होने पर पाचँवे वर्ष में 19x4 = 76 अध्यापकों की आवश्यकता होगी

शिक्षण सामग्री –

सारणी 6.3

शिक्षण सामग्री का व्यय विवरण

तृतीय वर्ष	60	विद्यालय	दर	5000 x 60	=	3,00,000.00
चतुर्थ वर्ष	40	विद्यालय	दर	5000 x 40	=	2,00,000.00
पंचम वर्ष	19	विद्यालय	दर	5000 x 19	=	95,000.00

कास्ठोपकरण : कास्ठोपकरण पर व्यय विवरण निम्नवत् है –

तृतीय वर्ष	60	विद्यालय	दर	50000 x 60	=	30,00,000.00
चतुर्थ वर्ष	40	विद्यालय	दर	50000 x 40	=	20,00,000.00
पंचम वर्ष	19	विद्यालय	दर	50000 x 19	=	9,50,000.00

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्रायमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है।पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्रायमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्रायमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आवादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी।बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है।सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (2) : शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा योजना –

स्वतंत्र भारत के संविधान के अंगीकृत होने के दस वर्षों के भीतर 6-14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्राविधान संविधान में नीति निर्देशक धारा 45 के अन्तर्गत रखा गया था इस संकल्प प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये एवं क्रियान्वित भी किया गया। बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोले गये। अध्यापकों की संख्या और छात्र संख्या में कई गुना वृद्धि भी हुई परन्तु देश की विशालता, विशाल जंनसंख्या एवं कतिपय आर्थिक कारणों से प्राप्त नही कर सके।

विद्यालय में अपने सेवित क्षेत्र के सभी बालक/बालिकाओं के प्रवेश की धारण क्षमता है परन्तु फिर भी हमारा साक्षरता प्रतिशत लक्ष्य से काफी दूर रहा है। इसके निम्न प्रमुख कारण हैं।

1. शिक्षा के क्षेत्र में हास एवं अवरोध की दर प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक रही। अनेक बालक एवं बालिकाओं प्राथमिक स्तर की परीक्षा पूर्ण करने के पूर्व ही अपनी पढ़ायी छोड़ देते हैं। यह हास की दर आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों झोपडी वाले शहरी क्षेत्रों एवं बालिकाओं के सम्बन्ध में अधिक है।

2. आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र के सम्मुख अनेक प्राथमिक समस्याएं हैं। इन सब के बाद शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता आती है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं महात्मा गाँधी के शब्दों में अन्न वस्त्र और आवास की है। यह तभी सम्भव होगा जब जनता के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षा के लिये समय निकाल सके। हमारे विद्यालय में भी दृढ़ता के साथ–साथ समय का पालन हो एवं समय में बच्चों की सुविधानुसार परिवर्तन हो तथा पाठ्यक्रम को जीवन की व्यवहारिकता से जोड़ा जाय।

अतः अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में अपनाई गयी। अनौपचारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा दोनो का उद्देश्य लगभग एक ही है। जिसे निम्न बिन्दुओं मे रखा जा सकता है। विद्यालय छोड़ चुके तथा प्राथमिक विद्यालय में ही जाने वाले 6 से 14 वय वर्ग के बालकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना जिससे वे प्राथमिक शिक्षा कर लें।

बालकों को भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन आदि के अपेक्षित कौशलों में दक्ष करना। बालकों को दैनिक जीवन में व्याप्त वैज्ञानिक तथ्यों तथा उनके महत्व की जानकारी देना।

सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की चेतना का विकास करना। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण समय का कोई बन्धन नही है। शिक्षार्थी की सुविधा के अनुसार किसी भी समय इसकी व्यवस्था की जा सकती है केन्द्र का समय दो घंटे निर्धारित है इसमें समय तथा केन्द्र का स्थान बालकों की पहुँच की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षा में नियमित उपस्थिति तथा एक ही कक्षा में वर्ष भर पढ़ने की बाध्यता नही है कक्षा 5 का पाठ्यक्रम दो वर्षो में पूरा कर सकता है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त बालक आगे शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकता है।

इस प्रकार अनौ0 शिक्षा एक ऐसा व्यवहारिक आधार प्रस्तुत करती है। जिससे शिक्षा जीवन का सहज अंग बन सके तथा समाज का सतत शिक्षा की ओर अग्रसर किया जा सके। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत जिले में कुल 490 केन्द्र संचालित थे जिसमे कुल 10630 बच्चे 6 से 11 वय वर्ग पंजीकृत थे। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 6 से 11 वय वर्ग के बालक बालिकाएं जो औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नही जाते थे उन्हें बालगणना के आधार पर इन केन्द्रों में प्रवेश दिलाया जाता था। अनौपचारिक शिक्षा से बालक/बालिकाओं के साक्षरता दर में वृद्धि हुयी किन्तु यह योजना पूर्ण रूप से सफल नही हो पायी।

1. अनौपचारिक शिक्षा की सफलता का कारण अनौपचारिक केन्द्रो का प्रभावी निरीक्षण न होना है।

2. अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों द्वारा असेवित क्षेत्रों की बालगणना में लापरवाही बरती जाती है उनके द्वारा असेवित क्षेत्रों की सही बाल गणना नही की जाती। इसके साथ ही साथ समय की कमी भी इसके असफलता का प्रमुख कारण है अनौपचारिक केन्द्रों का समय दो घंटे से अधिक होना चाहिए।

3. अनुदेशको के चयन के लिए पर्याप्त समय एवं सही ढंग से सर्वेक्षण का न होना।

4. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के स्थानों का निश्चित न होना

5. मानदेय का समय से न मिलना।

6. पाठ्य सामग्री का समय से उपलब्ध न होना।

7. प्रोत्साहन हेतु किसी प्रकार के पुरस्कार का न होना।

8. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र का धरातल से कोई सम्बन्ध न होना।

इसकी असफलता का मुख्य कारण यह भी था कि जो छात्र औपचारिक विद्यालयों में पजीकृत थे प्रायः उन्ही बच्चों का प्रवेश छदन् रूप से अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो पर होता था उन केन्द्रों के संचालन का सबसे अधिक जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समितियों की थी। किन्तु उनके द्वारा केन्द्रों के संचालन में कोई रूचि नही ली जाती थी।

उपरोक्त कारणों से दिनों दिन अनौपचारिक शिक्षा का हास होता गया परिणाम स्वरूप इसके स्थान पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना वैकल्पिक शिक्षा, एवं नवाचार शिक्षा योजना लागू की गयी।

ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 हेतु सर्वेक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत माइक्रोप्लान द्वारा प्राप्त आंकडो का संकलन विकास खण्डवार किया गया है और अन्त में जिले की संख्या संकलित रूप में प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष निम्न सारिणी में दिये गये है:

सारणी 7.1

जनपद में स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति

(31.12.2000 की स्थिति)

1. 6–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या

बालक 157147 बालिका 118918 योग 276065

2. 6–14 वय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या – 247301

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
बालक	406665	--	54083	13042	37491	145281
बालिका	24229	--	36793	9204	31794	102020
योग	64894	--	90876	22246	69285	247301

3. 9–14 वष क स्कूल न जाने वाले वच्चों की संख्या (ई0जे0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
वालक	667	–	616	360	518	2161
वालिका	1339	--	1220	619	592	3770
योग	2006	--	1836	979	1110	5931

4. 9–14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले वच्चों की संख्या (ए0आई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

सारणी 7.2

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
वालक	09	--	07	04	--	20
वालिका	--	--	--	--	--	--
योग	09	--	07	04	--	20

सारणी 7.3

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
वालक	152	--	154	204	136	646
वालिका	14	--	14	17	08	53
योग	166	--	168	221	144	699

सारणी 7.4

कामकाजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
बालक	3496	–	2900	1161	1134	8691
बालिका	6170	–	3090	2249	1501	13010
योग	9666	–	5990	3410	2635	21701

सारणी 7.5

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
बालक	89	–	84	92	24	289
बालिका	15	–	08	03	01	27
योग	104	–	92	95	25	316

सारणी 7.6

विकलांग बच्चे (PHYSICALLY HANDICAPPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
बालक	325	–	190	63	206	784
बालिका	263	–	210	58	158	689
योग	588	–	400	121	364	1473

सारणी 7.7

ए0आई0ई0 में नामांकन हेतु सर्वेक्षण के परिणाम पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम जिसमें बच्चे अपने अभिभावक के मददगार हैं	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की जनसंख्या में प्रतिशत	व्यवसाय में मदद करने वाले 9-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल में न जाने वाले बच्चों की संख्या		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कृषि	58	54771	38462	93233	5638	7614	13252
2.	पशुपालन	07	6610	4642	11252	679	919	1598
3.	दुकानदारी	12	11332	7958	19290	1165	1575	2740
4.	कुम्भकार	1.5	1416	995	2411	146	197	343
5.	बढ़ई	1.5	1417	995	2412	146	197	343
6.	दर्जी	02	1889	1326	3215	194	263	457
7.	अन्य	18	16998	11937	28935	1747	2363	4110

सारणी 7.8

ए0आई0ई0 योजना हेतु विशिष्टा के आधार पर चिन्हित स्थलों का विवरण (स्कूल न जाने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या (31.12.2000 के आधार पर)

शालात्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम			बाल श्रमिक की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां			कामकाजी की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्तियां		
: जहां 15 से 25 बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 25 से 50 बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 15 से 25 बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 25 से 50 बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 15 से 25 बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 25 से 50 बच्चे उपलब्ध हैं	जहां 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध हैं
भात	--	--	--	--	--	--	--	--
शिवरामपुर	--	--	--	--	--	--	--	--
चकडाही	--	--	--	--	--	--	--	--
ख्योंखर	--	--	--	--	--	--	--	--
दुरासी	--	--	--	--	--	--	--	--
बिगई	--	--	--	--	--	--	--	--
वहरी	--	--	--	--	--	--	--	--
त्रिभुवनपुर	--	--	--	--	--	--	--	--
गोलवारा	--	--	--	--	--	--	--	--
रयां	--	--	--	--	--	--	--	--
भरतपुर	--	--	--	--	--	--	--	--
चकजोधी	--	--	--	--	--	--	--	--
चकसुन्दर	--	--	--	--	--	--	--	--

नगर क्षेत्र भदोही

शाला त्यागी बहुल क्षेत्रों की सूची

		छात्रों की संख्या
1.	शेरूपुर	15–25
2.	आलमपुर	25–50
3.	नूरखापुर	50 से अधिक

बाल श्रमिकों की बहुलता वाली बस्तियाँ

		छात्रों की संख्या
1.	छेड़ीवीर	15–25
2.	पकरी	25–50

कामकाजी बच्चों की बहुलता वाली बस्तियाँ

		छात्रों की संख्या
1.	कुशियारा	15–25

उपरोक्त सभी वर्गों के अनुसार जिले के कुल बच्चे नीचे दर्शाये गये हैं–

सारणी 7.9

6 से 8 वय वर्ग की श्रेणीवार संख्या (स्कूल न जाने वाले)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
बालक	667	--	615	360	518	2161
बालिका	1339	--	1220	619	592	3770
योग	2006	--	1836	979	1110	5931

सारणी 7.10

9 से 14 वय वर्ग की श्रेणीवार संख्या (स्कूल न जाने वाले)

वर्ग	बाल श्रमिक	घुमन्तू बच्चे	कामकाजी बच्चे	सड़कछाप बच्चे	विकलांग बच्चे	योग
बालक	20	646	8691	289	784	10430
बालिका	--	53	13010	27	689	13779
योग	20	699	21701	316	1473	24209

सारणी 7.11

9 से 14 वय वर्ग की श्रेणीवार संख्या (स्कूल न जाने वाले)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	अन्य	योग
बालक	4071	--	3360	1499	1500	10430
बालिका	6462	--	3322	2327	1668	13779
योग	10533	--	6682	3826	3168	24209

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम		चयनित बस्तियों का नाम
		45.	भुसौला हरिजन बस्ती
		46.	ख्योंरवर
		47.	वीरम पट्टी
		48.	पूरेभान
		49.	लक्ष्मण पट्टी
6.	नगर क्षेत्र भदोही	50.	वामदेवपुर वार्ड नं. 2

स्रोत– माइक्रोप्लानिंग 98–99 के आधार पर

द्वितीय वर्ष में आवश्यकतानुसार अन्य 50 केन्द्रों के लिये बस्ती प्रस्तावित की जायेगी।

सारणी 7.14

ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों का मानक व्यय विवरण

क्र. सं.	टीम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	रु0 1000.00 प्रतिमाह प्रति अनुदेशक	रु0 2000.00 प्रतिमाह दो अनुदेशकों के लिये
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रु0 1500.00 प्रतिवर्ष 30 दिनों के लिये रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से	रु0 4000.00 प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों के लिये रु0 50.00 प्रतिदिन 40 दिनों के लिये
3.	बच्चों के लिये शिक्षण सामग्री	रु0 100.00 प्रति छात्र/छात्रा	रु0 150.00 प्रति छात्र/छात्रा
4.	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	रु0 1100.00 प्रति केन्द्र	रु0 1200.00 प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र कन्टीजेन्सी	रु0 468.75 प्रति केन्द्र	रु0 500.00 प्रति केन्द्र

जनपद में कुल पाँच विकास खण्ड एवं एक नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया, प्रपत्र संलग्न है।

जनपद में सर्वेक्षण के आधार पर कुल 100 ई.जी.एस. केन्द्र खुलने हैं। वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत नगर क्षेत्र भदोही में कुल 12 बारह शिशु शिक्षा केन्द्र हैं अन्य चार विकास खण्डों में यह जुलाई से आंगन वाड़ी केन्द्र संचालित होने हैं विकास खण्ड भदोही में आगनवाडो केन्द्र पहले से

हो चल रहा है। यह सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दी गई है। जनपद के अन्य विकास खण्डों में शिशु शिक्षा केन्द्र की आवश्यकता नही है।

जनपद के कुल 17 मकतब/मदरसों के सुदृढ़ीकरण करने की योजना प्रस्तावित है जिसका व्यय प्रतिवर्ष दस हजार रूपये दर्शाया गया है। इन मदरसों से अल्प संख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा दर में वृद्धि होगी तथा उनके नामांकन एवं धारण का प्रतिशत बढ़ जायेगा। इन मदरसों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी आवश्यक होगी जो अन्य विषयों के साथ–साथ उर्दू का भी ज्ञान रखती हो। इन मदरसों के चलने का समय औपचारिक विद्यालयों की तरह से न हो करके उनकी सुविधा के अनुसार होगा।

जनपद में उन बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो ड्राप आउट हैं, तथा जो बीच में पढ़ाई छोड़ दी हैं या जिनका गणित एवं विज्ञान कमजोर है उन बालिकाओं की शिक्षा के लिए जनपद में कुल 21 ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया जाना है। इससे नामांकन दर में वृद्धि होगी तथा साक्षरता का दर बढेगा। गणित एवं विज्ञान में कमजोर बच्चों का मार्ग दर्शन होने से बच्चों का उक्त विषय में धारण क्षमता बढ़ेगी। इसका उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले एवं ड्राप आउट बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है।

ब्रिज कोर्स –

जनपद में घुमन्तू, सड़कछाप, बालश्रमिक एवं कामकाजी बच्चों की शिक्षा के लिए जनपद स्तर में केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसके लिए ब्रिज कोर्स खोला जायेगा, सर्वेक्षण के आधार पर धुमन्तू, सड़कछाप, बालश्रमिक बच्चों को जो विद्यालय नही जा रहे है। उन्हें ब्रिजकोर्स के अन्तर्गत विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा, इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ना होगा, यह अवासीय व्यवस्था है। इसमें बच्चों को खाने–पीने रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की भी व्यवस्था होगी। इन केन्द्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था होगी। इस प्रकार के केन्द्रों के संचालन पर आने वाले व्यय की व्यवस्था बजट में किया जायेगा। जिले के विभिन्न विकास खण्डों के इस कोटि मे आने वाले बच्चों का नामांकन इस केन्द्र पर किया जायेगा। इस प्रकार के केन्द्रों के संचालन से धुमन्तू, सड़कछाप, एवं बालश्रमिकों बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि होगी तथा साक्षरता दर भी बढ़ेगा इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों एवं दाइयों की नियुक्ति होगी, आवास केन्द्र चलाने हेतु किराये पर लिया जायेगा। भोजन बनाने वाले कुक की भी नियुक्ति का प्राविधान इसमें किया गया है। जिन

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	चयनित बस्तियों का नाम	
		45.	भुसौला हरिजन बस्ती
		46.	ख्योंरवर
		47.	वीरन पट्टी
		48.	पूरेभान
		49.	लक्ष्मण पट्टी
6.	नगर क्षेत्र भदोही	50.	वामदेवपुर वार्ड नं. 2

स्रोत– माइक्रोप्लानिंग 98–99 के आधार पर

द्वितीय वर्ष में आवश्यकतानुसार अन्य 50 केन्द्रों के लिये बस्ती प्रस्तावित की जायेगी।

सारणी 7.14

ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों का मानक व्यय विवरण

क्र. सं.	टीम	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	रु0 1000.00 प्रतिमाह प्रति अनुदेशक	रु0 2000.00 प्रतिमाह दो अनुदेशकों के लिये
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	रु0 1500.00 प्रतिवर्ष 30 दिनों के लिये रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से	रु0 4000.00 प्रतिवर्ष दो अनुदेशकों के लिये रु0 50.00 प्रतिदिन 40 दिनों के लिये
3.	बच्चों के लिये शिक्षण सामग्री	रु0 100.00 प्रति छात्र/छात्रा	रु0 150.00 प्रति छात्र/छात्रा
4.	केन्द्रों के शिक्षण सामग्री	रु0 1100.00 प्रति केन्द्र	रु0 1200.00 प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र कन्टीजेन्सी	रु0 468.75 प्रति केन्द्र	रु0 500.00 प्रति केन्द्र

जनपद में कुल पाँच विकास खण्ड एवं एक नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया, प्रपत्र संलग्न है।

जनपद में सर्वेक्षण के आधार पर कुल 100 ई.जी.एस. केन्द्र खुलने है। वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत नगर क्षेत्र भदोही में कुल 12 बारह शिशु शिक्षा केन्द्र हैं अन्य चार विकास खण्डों में यह जुलाई से आंगन वाड़ी केन्द्र संचालित होने हैं विकास खण्ड भदोही में आगनवाड़ी केन्द्र पहले से

हो चल रहा है। यह सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दी गयी है। जनपद के अन्य विकास खण्डों में शिशु शिक्षा केन्द्र की आवश्यकता नही है।

जनपद के कुल 17 मकतब/मदरसों के सुदृढ़ीकरण करने की योजना प्रस्तावित है जिसका व्यय प्रतिवर्ष दस हजार रूपये दर्शाया गया है। इन मदरसों से अल्प संख्यक समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा दर में वृद्धि होगी तथा उनके नामांकन एवं धारण का प्रतिशत बढ़ जायेगा। इन मदरसों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी आवश्यक होगी जो अन्य विषयों के साथ–साथ उर्दू का भी ज्ञान रखती हो। इन मदरसों के चलने का समय औपचारिक विद्यालयों की तरह से न हो करके उनकी सुविधा के अनुसार होगा।

जनपद में उन बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो ड्राप आउट हैं, तथा जो बीच में पढ़ाई छोड़ दी हैं या जिनका गणित एवं विज्ञान कमजोर है उन बालिकाओं की शिक्षा के लिए जनपद में कुल 21 ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया जाना है। इससे नामांकन दर में वृद्धि होगी तथा साक्षरता का दर बढेगा। गणित एवं विज्ञान में कमजोर बच्चों का मार्ग दर्शन होने से बच्चों का उक्त विषय में धारण क्षमता बढ़ेगी। इसका उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले एवं ड्राप आउट बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है।

ब्रिज कोर्स –

जनपद में घुमन्तू, सड़कछाप, बालश्रमिक एवं कामकाजी बच्चों की शिक्षा के लिए जनपद स्तर में केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसके लिए ब्रिज कोर्स खोला जायेगा, सर्वेक्षण के आधार पर धुमन्तू, सड़कछाप, बालश्रमिक बच्चों को जो विद्यालय नही जा रहे है। उन्हें ब्रिजकोर्स के अन्तर्गत विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा, इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ना होगा, यह अवासीय व्यवस्था है। इसमें बच्चों को खाने–पीने रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की भी व्यवस्था होगी। इन केन्द्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की व्यवस्था होगी। इस प्रकार के केन्द्रों के संचालन पर आने वाले व्यय की व्यवस्था बजट में किया जायेगा। जिले के विभिन्न विकास खण्डों के इस कोटि मे आने वाले बच्चों का नामांकन इस केन्द्र पर किया जायेगा। इस प्रकार के केन्द्रों के संचालन से धुमन्तू, सड़कछाप, एवं बालश्रमिकों बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि होगी तथा साक्षरता दर भी बढ़ेगा इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों एवं दाइयों की नियुक्ति होगी, आवास केन्द्र चलाने हेतु किराये पर लिया जायेगा। भोजन बनाने वाले कुक को भी नियुक्ति का प्राविधान इसमें किया गया है। जिन

अध्यापकों की नियुक्ति इसमें की जायेगी उनके प्रशिक्षण का भी प्राविधान योजना के अन्तर्गत किया गया है।

शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत जनपद के पाँच विकास खण्डों एवं नगर क्षेत्र भदोही में कुल 100 केन्द्र खोले जाने हैं जिसकी सूची संलग्न है। (सूची 50 केन्द्रों की विकास खण्डवार जो पहले ही संलग्न है।)

केन्द्र के लिए स्थान का निर्धारण बस्ती के सामुदायिक नेता द्वारा किया जायेगा। केन्द्र चलाने के लिए कक्ष की व्यवस्था हेतु कोई किराय देय नहीं होगा। इसमें प्रतिछात्र 845.00 रू. की दर से व्यय किया जायेगा। अन्य 50 केन्द्रों के लिए स्थान निर्धारण समाअनुसार प्रस्तावित किया जोयगा।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के लिए भी स्थान बस्ती विशेष के सामुदायिक नेता द्वारा प्रदान किया जायेगा। ब्रिज कोर्स में शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तरीय कमेटी करेगी।

आचार्य की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर जिला स्तरीय कमेटी करेगी जिसकी योग्यता कम से कम हाईस्कूल होगी। आचार्य का मानदेय 1000 रू. प्रतिमाह है। आचार्य जी का प्रशिक्षण S.C.E.R.T. द्वारा विकसित माड्यूल पर डायट द्वारा किया जायेगा। इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था हेतु 10,000 रू. का प्राविधान बजट में किया गया है। केन्द्रो के संचालन हेतु आनुसांगिक व्यय 10,000 रू0 में सम्मिलित होगा। उपरोक्त केन्द्रों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण ब्लाक स्तर के अधिकारी से लेकर मंडल स्तर तक के अधिकारी तथा ग्राम शिक्षा समिति, शकुल प्रभारी समन्यवयक भी करेंगें। पर्यवेक्षण हेतु मानदेय की व्यवस्था भी इस योजना के अन्तर्गत है।

अनुदेशकों द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का त्रैमासिक, षड़मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा यह प्रचारन किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपर्युक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हो, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढने वाले बच्चे शीघ्रातिशीघ्र एवं अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपर्युक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी परिपेक्ष में अनुदेशक का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति, ब्लाक शिक्षा समिति एवं जिलास्तरीय शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशकों द्वारा बच्चों के अधययनरत अवधि में उनके व्यवहारिक स्तर मे आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति से लगातार अवगत करता जायेगा।

केन्द्र में अध्ययनरत बच्चों जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगे उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा पूर्णांक के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रा0अ0 द्वारा करायी जायेगी।

अनुश्रवण की व्यवस्था –

शिक्षा की पहुँच का अनुश्रवण जिले स्तर पर स्थापित मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रपत्र सूचना के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा। विश्लेषण के दौरान उभर कर आये महत्वपूर्ण विन्दुओं को शिक्षा की पहुँच EGS/AIE/केन्द्रों के आचार्य/अनुदेशकों एवं तदनुसार शिक्षण कार्य करने की गति विधा अपनायी जायेगी।

शिक्षा के पहुँच के अन्तर्गत बस्ती/ब्लाक स्तर चयनित EGS/AIE ब्रिज कार्स/नवाचार के केन्द्रों का सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार कोर कमिटि के सदस्यों द्वारा किया जाय। केन्द्रों की उपलब्धि, शैक्षिक स्तर की प्रगति आख्या स0बे0शि0अ0/प्र0उ0वि0नि0 का उपलब्ध कराया जाय। भौतिक सत्यापन में EGS प्रपत्र पर दर्शाये गये विवरण के अनुसार साधनों एवं उसके समुचित अनुप्रयोग के बारे में टिप्पणी अंकित किये जाय।

शिक्षा के पहुँच हेतु चयनित केन्द्रों के अनुदेशकों/आचार्य की मासिक बैठक शंकुल स्तर पर त्रैमासिक वार्षिक बैठक ब्लाक स्तर पर स0बे0शि0/प्र0उ0वि0नि0 द्वारा किया जायेगा। प्रगति आख्याओं को केन्द्रवार संकलन कर जिला स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।

पारवार सवक्षण आकड़ा का वाषक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 5931 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन को सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वय सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय – 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रमः

जनपद में ड्रापआउट का वर्तमान दर 10.4 है जिसे 2007 तक बढ़ा कर शून्य कर दिया जायेगा।

जनपद में ड्राप आउट दर अधिक होने के कारण निम्नवत है।

1. विद्यालय में आकर्षण न होना।
2. विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापको को कमी।
3. विद्यालय में आवश्कयतानुसार कक्षा–कक्ष का अभाव।
4. विद्यालय भवन का जर्जर होना।
5. विद्यालय में शिक्षण सामग्री का अभाव एवं भौतिक सरथानो की कमी।
6. ग्राम शिक्षा समिति का निष्क्रीय होना।
7. विद्यालय के अध्यापकों द्वारा ड्राप आउट बालक/बालिकाओं पर अपेक्षित ध्यान न देना।

ड्राप आउट समाप्त करने हेतु जनपद में निम्न योजना बनाई गयी है।

प्राथमिक स्तर :

जनपद में अबतक विश्व बैंक परियोजना (बो.ई.पी.) के अन्तर्गत 51 विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण हुआ है। 36 भवनों के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। 730 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष अब तक बने है। 328 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता है। इसी प्रकार जनपद में शौचालय युक्त विद्यालय 163 है। हैण्डपमप युक्त विद्यालय 461 है। एवं चहारदीवारी युक्त कुल 35 विद्यालय हैं। इसी प्रकार जनपद में 326 शौचालय 26 हैण्डपम्प एवं 460 चहारदीवारी की आवश्यकता है। विवरण निम्नवत है।

सारणी 8.1

पुननिर्माण सूची

क्र. सं.	विवरण	कुल आवश्यकता	बी0ई0पी0 परियोजना से पूर्ण	वर्तमान आवश्यकता
1.	भवन पुननिर्माण	87	51	36
2.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1058	730	328
3.	शौचालय	489	163	326
4.	हैण्डपम्प	487	461	26
5.	चहारदीवारी	490	35	460

स्रोतः विभागीय आँकड़ें

जनपद में तीन विद्यालय एक कक्षीय हैं जिसमें दो कक्ष की दर से 6 कक्ष का प्रस्ताव किया गया है दो कक्षीय विद्यालय 34 हैं जिसमें दो अतिरिक्त कक्षों का प्रस्ता0 है। इसी प्रकार कुल 223 तीन कक्षीय विद्यालय हैं। परन्तु 150 विद्यालयों की छात्र संख्या अधिक होने के कारण एक कक्ष (150x1=50) निर्मित करने का प्रस्ताव है।

उच्च प्राथमिक स्तरः

सारणी 8.2

उच्च प्राथमिक स्तर पुननिर्माण सूची

उच्च प्राथमिक स्तर पर 06 शौचालय 04 हैण्डपम्प तथा 113 चहारदीवारी की आवश्यकता है। जनपद का आँकड़ा निम्नवत् है।

क्र. सं.	विवरण	कुल आवश्यकता	बी0ई0पी0 परियोजना से निर्मित	वर्तमान आवश्यकता
1.	भवन पुननिर्माण	41	36	05
2.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	240	124	116
3.	शौचालय	130	124	06
4.	हैण्डपम्प	132	128	04
5.	चहारदीवारी	113	शून्य	113

स्रोतः विभागीय आँकड़ें

जनपद में कुल 136 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। 2 कक्षीय मात्र एक विद्यालय है। जिसमें 3 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण का प्राविधान किया गया है। 3 कक्षीय 14 विद्यालय हैं जिनमें प्रत्येक में 2 कक्ष के निर्माण (14x2=28) का प्राविधान है। 4 कक्षीय 80 विद्यालय हैं जिनमें केवल एक (80x1=80) का प्राविधान किया गया है। 20 विद्यालय 5 कक्षीय हैं परन्तु छात्र संख्या एवं अध्यापन संख्या अधिक होने के कारण 5 विद्यालयों में एक और अतिरिक्त कक्ष निर्माण का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 116 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण की योजना है।

अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता–

प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1548 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 947 शिक्षकों की वर्तमान स्थिति के अनुसार आवश्यकता है। जनपद में प्रथम चक्र में कुल 197 शिक्षा मित्र स्वीकृत है। जिनकी नियुक्ति हेतु प्राविधान है जिनकी नियुक्ति हेतु प्रक्रिया गतिमान है परन्तु जनपद के अनेक विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक है और अध्यापकों के अनुपात 1:40 के अनुपात में अध्यापकों की उपलब्धता में कमी है। जनपद में छात्रों की प्रगामी संख्या 149756 सत्र 2000–2001 में इसके अनुसार 1:40 के अनुपात में 3744 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। परन्तु जनपद में अध्यापकों

के सृजित पद 2692 है। अतएव नवीन अध्यापकों की संख्या 1052 होगी इसमें 50:50 के अनुपात सहायक अध्यापक 526 तथा शिक्षा मित्र भी 526 की संख्या में होंगे।

सारणी 8.3

अध्यापक विवरण (प्राथमिक स्तर)

जनपद का आँकड़ा निम्नवत् है।

वर्ष	छात्रों की प्रभावी संख्या	1:40 अनुपात में अध्यापकों की संख्या	नवीन अध्यापकों की कुल संख्या	वांछित अध्यापकों की संख्या	सहायक अध्यापक संख्या	शिक्षा मित्रों की संख्या	संचयी अध्यापक की संख्या
2000-2001	149756	3744	1052	1052	526	526	526
2001-2002	165098	4128	1436	384	192	192	718
2002-2003	180744	4520	1528	392	196	196	914
2003-2004	188650	4716	2024	196	98	98	1012
2004-2005	195658	4892	2200	176	88	88	1100
2005-2006	204186	5104	2412	212	106	106	1206
2006-2007	211517	5288	2596	184	92	92	1298
2007-2008	216051	5402	2710	114	57	57	1355
2008-2009	220690	5518	2826	116	58	58	1413
2009-2010	225435	5636	2944	118	59	59	1472
योग	**1957785**	**48948**	**22028**	**2944**	**1472**	**1472**	**11014**

स्रोतः संदर्भ सारणी 4.3 विभागीय आँकड़ें

जनपद में 154 प्राथमिक विद्यालय तथा 37 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 101 प्राथमिक विद्यालय तथा 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत हेतु रु 70000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा।

सारिणी 8.4

(2000–2001)

क्रम.सं.	मद	संख्या	दर	आवश्यकता प्रतिवर्ष
1.	मरम्मत एवं रख–रखाव	497	5000.00	23,95,000.00
2.	विद्यालय विकास अनुदान	497	2000.00	9,94,000.00

उच्च प्राथमिक विद्यालयः

जिले में कुल 136 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। जिसमें मरम्मत/रख रखाव एवं अनुदान हेतु धन की आवश्यकता होगी। तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए निर्माण के अगले वर्ष से उक्त धनराशि दी जायेगी।

सारिणी 8.5

(2000–2001)

क्रम. सं.	मद	संख्या	दर	आवश्यकता प्रतिवर्ष
1.	विद्यालय मरम्मत एवं रख–रखाव	136	5000.00 136x5000 =	680000.00
2.	वि0 विकास अनुदान	136	2000-00 136x5000 =	272000.00

बालिका शिक्षा –

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गई जबकि उत्तर प्रदेश में पुरूषों की साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है; जनपद सन्त रविदास नगर भदोही की साक्षरता दर पुरूषों का 60.50 तथा महिलाओं का 17.50 प्रतिशत है। नगरीय साक्षरता 49 प्रतिशत है। सभी वर्गों की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति उदासीनता रही है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदनुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए।

इस विवरण में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में काफी पीछे हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ

की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत प्रतिशत करने के साथ सभी वर्ग की शत प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है।

नामांकन हेतु चलाए गय विभिन्न अभियान और गाँव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आई हैं जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

इसको दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु प्रयास किए गए हैं। इनमें इनमें (36 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा) शिशु केन्द्र खोले गए जिसके परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। क्योंकि बालिकाएँ अक्सर इस वय वर्ग के अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नही जा पाती थी। कक्षा 5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के लिए कार्यअनुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। परिणाम स्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की अनुपस्थिति में वृद्धि हुई एवं ड्राप आउट दर में कमी आयी।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियाँ–

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निम्रण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोडी देर तक खडे होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

- बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चो को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

– माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान
– माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
– माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगे।

- सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियनित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

4. जनपद में प्राथमिक स्तर पर 1548 तथा पू० मा० स्तर पर 4669 अध्यापक कार्यरत हैं।

बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीतियाँ –

जनपद के अत्यन्त पिछडें एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों, विकास खण्डों, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से माडलक्लस्टर, माडल ग्राम सभा, का चयन एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे।

माडल क्लस्टर डेवेलपमेंट एप्रोच –

जनपद में यह कार्यक्रम न्यूनतम महिला साक्षरता वाले विकास खण्ड डीघ एवं औराई में चलाया जाएगा। इसके अन्तर्गत डीघ विकास खण्ड में इटहरा न्याय पंचायत तथा औराई विकास खण्ड में भरतपुर न्याय पंचायत का चयन किया गया है। उपर्युक्त दोनो न्याय पंचायत माडल क्लस्टर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

न्याय पंचायत की समस्त ग्राम पंचायते, बस्तियों में 6–14 वयवर्ग की बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं ड्राप आउट दर शून्य करने की योजना प्रस्तावित है।

विशेष नामांकन अभियान –

चयनित क्लस्टर में पी०आर०ए० विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जाएगा। प्राप्त आंकडों के आधार पर विशेष क्षेत्र डीघ एवं औराई हेतु नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी लक्ष्य गत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, नियमित रूप से विद्यालय आयें और उनकी शैक्षिक स्तर में वृद्वि हो। इसके लिए चिन्हित बच्चों के घर तक पहुँचना आवश्यक है। इस वर्ष में स्थानीय संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूह का सहयोग लिया जायेगा। इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेगें।

1. मीना कैम्पेन : इसके माध्यम से प्रत्येक गाँव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, फिल्म प्रदर्शन, पोस्टर, चार्ट इत्यादि के माध्यम से माता-पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।
2. माँ बेटी मेला आयोजन : ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन किया जाएगा। उददेश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक शिक्षा प्राप्त करने

4. जनपद में प्राथमिक स्तर पर 1548 तथा पू0 मा0 स्तर पर 4669 अध्यापक कार्यरत हैं।

बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीतियाँ –

जनपद के अत्यन्त पिछडें एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों, विकास खण्डों, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से माडलक्लस्टर, माडल ग्राम सभा, का चयन एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे।

माडल क्लस्टर डेवेलपमेंट एप्रोच –

जनपद में यह कार्यक्रम न्यूनतम महिला साक्षरता वाले विकास खण्ड डीघ एवं औराई में चलाया जाएगा। इसके अन्तर्गत डीघ विकास खण्ड में इटहरा न्याय पंचायत तथा औराई विकास खण्ड में भरतपुर न्याय पंचायत का चयन किया गया है। उपर्युक्त दोनो न्याय पंचायत माडल क्लस्टर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

न्याय पंचायत की समस्त ग्राम पंचायते, बस्तियों में 6–14 वयवर्ग की बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन एवं ड्राप आउट दर शून्य करने की योजना प्रस्तावित है।

विशेष नामांकन अभियान –

चयनित क्लस्टर में पी0आर0ए0 विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जाएगा। प्राप्त आंकडों के आधार पर विशेष क्षेत्र डीघ एवं औराई हेतु नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी लक्ष्य गत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, नियमित रूप से विद्यालय आयें और उनकी शैक्षिक स्तर में वृद्वि हो। इसके लिए चिन्हित बच्चों के घर तक पहुँचना आवश्यक है। इस वर्ष में स्थानीय संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूह का सहयोग लिया जायेगा। इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेगें।

1. मीना कैम्पेन : इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, फिल्म प्रदर्शन, पोस्टर, चार्ट इत्यादि के माध्यम से माता-पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा।
2. माँ बेटी मेला आयोजन : ग्राम स्तर पर माँ बेटी मेले का आयोजन किया जाएगा। उददेश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक शिक्षा प्राप्त करने

तथा एकरूप के प्रतिनिधि सहयोग बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

सारिणी 8.7

ग्रीष्मकालीन केन्द्र

विकास खण्ड का नाम	ग्रीष्मकालीन शिविर हेतु प्रस्तावित ग्राम एवं बस्तियों का नाम	ड्राप आउट बालिकाओं की संख्या (अनुमानित)
डीघ	कुरमइचा	45
	गोधना	48
	विछिया	46
	जंगीगंज	35
औराई	चक विसहू	40
	चकलाला	45
	उगापुर	46
	खम्हरिया	44

विकास खण्ड का नाम	ग्रीष्मकालीन शिविर हेतु प्रस्तावित ग्राम एवं बस्तियों का नाम	ड्राप आउट बालिकाओं की संख्या (अनुमानित)
सुरियावाँ	करियांव	48
	भीमसेनपुर	35
	नीवीचौर	46
	वौरीवोझ	47
भदोही	कुकरौठी	48
	चौरी	45
	सोनहर	46
	रोटहा	48
ज्ञानपुर	कसियापुर	48
	ज्ञानपुर	46
	ज्ञानपुर देहात	45
	पाली	40
नगर क्षेत्र भदोही	भदोही वार्ड न0 8	45
	योग	926

5. **विशेष कोचिंग हेतु :–** जिन लडकियो का उपलब्धि स्तर कम है। उनकों इन शिविरों के माध्यम से अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाएं कक्षा 4,5,6,7,8, के पढने वाली बालिकाएं, पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालय में नियमित उपस्थिति न रह पाने के कारण बहुधा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाती है तथा अन्त में अधिकांशतः धीरे धीरे हीन भावना एवं कक्षा के अन्य साथियों के साथ न चल पाने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर ब्लाक स्तर पर 40–50 बालकाओं के लिए ग्रीष्मवकाश में 15 दिन का शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे शिविरों में पूर्व में चिन्हित कठिन विषयों विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिक्षक के साथ साथ योगा, मार्शल आर्ट, लाइफ रिकल, तथा कम्यूनिटि लिविंग के अनुभव से लाभ मिल सकेगा।

अन्य :– चयनित क्लस्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स आवासीय शिविर भी आयोजित कियें जायेगे। ऐसे शिविर डीघ तथा औराई में प्रस्तावित हैं। इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित शालात्यागी बालिकाओं को कंडेन्सकोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा की शिक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम कार्यानुभव करके सीखने के लिए शिक्षा विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा को बढावा दिया जायेगा। इसके लिए अन्तर्गत जनपद से परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड चयन कर आधुनिक विधि द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना, कला, चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढाई, बुनाई, की शिक्षा के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं ने अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर सिखाया जायेगा।

सारिणी 8.6
बालिका शिक्षा हेतु कार्यानुभव योजना

कार्यानुभव योजना निम्नवत् प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष मे जहॉ बालिका शिक्षा की साक्षरता दर सबसे कम है। (विकास खण्ड डीघ एवं औराई) मे प्राथमिकतानुसार प्रस्तावित है। इन ब्लाकों में सफलता मिलने पर अन्य विकास खण्डों में वर्षवार प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव है।

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	कार्यानुभव प्रोजेक्ट	लागत
1.	डीघ	सिलाई–कढाई	1500000.00
2.	औराई	सिलाई–कढाई	1300000.00
3.	सुरियावाँ	अगरबत्ती, मोमबत्ती	1500000.00
4.	भदोही	सिलाई एवं कढाई	1500000.00
5.	ज्ञानपुर	सिलाई–कढाई	1553500.00
6.	नगर क्षेत्र भदोही	बेकरी उद्योग	1500000.00

शिशु कक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण–

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में दो विकास खण्ड भदोही एवं औराई शिशु केन्द्र आई0सी0डी0एस0 के द्वारा संचालित है। शेष 4 विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा माह जुलाई 2001 से केन्द्र संचालित कर दिये जायेगे। इस प्रकार सम्पूर्ण जनपद शिशु शिक्षा केन्द्र से आच्छादित हो जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के योजना इस शिशु शिक्षा केन्द्रों से प्रस्तावित नही किया गया है। केवल नगर क्षेत्र भदोही मे 12 शिशु शिक्षा केन्द्र का खुलना प्रस्तावित है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, के अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनो की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगें। इन प्रस्ताव को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जाएगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण–

आकर्षक एवं निःशुल्क पाठय पुस्तकों का नामांकन एवं उनके विद्यालय के ठहराव हेतु विशेष महत्व है। समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जातियों के समस्त बालिकों को निःशुल्क पाठय पुस्तक देने का प्रस्ताव।

केन्द्र पर दी जाने वाली शैक्षिक व अन्य सामग्री आकस्मिक व्यय	650x12	=	7800
प्रशिक्षण		=	5000
		=	1500
		=	1250
	योग		15550

उपरोक्त पाँच चयनित विकास खण्डो में द्वितीय चरण में 50-50 केन्द्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

कम्प्यूटर शिक्षा : बालिकाओं को ड्रापआउट करने, शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने एवं आधुनिक टेक्नीकल शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था करने की योजना है। इस प्रकार जनपद में कुल 5 विकास खण्डों में 5 एवं नगर क्षेत्र भदोही में एक कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी तथा जनपद के चार पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भी कम्प्यूटर प्रस्तावित किया गया है।

विकास खण्ड का नाम / नगर क्षेत्र का नाम	कम्प्यूटर की संख्या	मूल्य
औराई	1	1,70,000.00
भदोही	1	1,70,000.00
ज्ञानपुर	1	1,70,000.00
सुरियावॉ	1	1,70,000.00
डीघ	1	1,70,000.00
नगर क्षेत्र भदोही	1	1,70,000.00
चार उच्च प्राथमिक विद्यालय	4	1,70,000.00
योग	10	1700000.00

निःशुल्क पाठय पुस्तकों का विवरण–

जनपद में निःशुल्क पाठय पुस्तकों का विवरण प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर सभी बालिकाओ एवं अनुसूचित जाति के बालकों को किया जाना है। सन् 2000–2001 में कक्षा 1 से 5 तक कुल 81267 बच्चों जिसमें सभी बालिकायें एवं अनुसूचित जाति के बालक सम्मिलित है को निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया गया है।

निःशुल्क पाठय पुस्तकों के वितरण हेतु प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालको की संख्या का विवरण वर्ष निम्नवत् है।

सारिणी 8.8

निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु छात्रों की सूची

वर्ष	प्राथमिक स्तर बालिका + अनुजाति बालक	पूर्वमाध्यमिक स्तर बालिका + अनु0 जाति बालक	सम्पूर्ण योग
2000-2001	81267	11420	92687
2001-2002	83055	11671	94276
2002-2003	84882	11928	96810
2003-2004	86749	12190	98939
2004-2005	88698	12458	101156
2005-2006	90608	12732	103340
2006-2007	90602	13012	105614
2007-2008	94639	13299	107938
2008-2009	96721	13591	110312
2009-2010	98894	13890	112739

स्रोत : विभागीय आंकड़े, संदर्भ सारिणी (4.1 एवं 4.2)

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा – (विकलांग बच्चों के लिए)

भारत की जनसंख्या का लगभग 5.10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नही लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है। विकलांगता के प्रकार मुख्य रूप से पाँच है -

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता
5. अधिगम मन्दता

बच्चों मे कुछ विकलांगता/अक्षमता जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है, कुछ अक्षमताए वातावरण से सम्बन्धित होती हैं। बच्चो के अधिगम क्षमता कम होने के निम्न कारण हो सकते हैं –

1. बौद्विक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मंद गति।

2. देखने में कठिनायी–सुनने एवं बोलने मे कठिनाई।

3. हाथ पैर का क्षति ग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना।

4. शरीर के अंगों की विकृति मास पेशियों में तालमेल न हीने से क्रिया कलाप में कठिनायी।

5. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान–स्मृति विषयक समस्यायें।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

विकलांगता के कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है। जो मुख्य रूप से निम्नवत है–

1. माता–पिता के स्नेह मे कमी।
2. बच्चों को हीन भावना से देखना।
3. सीखने के समान अवसर न मिलना।
4. शिशु स्तर पर लालन–पालन उपयुक्त साधनों को न अपनाना।
5. शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना।
6. सामान्य बच्चों का विकलांगता बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

अक्षमता के परिणाम –

विकलांग बच्चों में आत्म निर्भरता की कमी होती है उन्हे आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। विकलांग बच्चों को चलने में भी परेशानी होती है तथा समाज उन्हे उपेक्षित दृष्टि से देखता है। समाज को चाहिए कि विकलांग बच्चों से सामान्य बच्चों की भाँति ही व्यवहार करें उन्हे उपेक्षित दृष्टि से न देखें। उपेक्षित दृष्टि से देखने में विकलांग बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न होती है। परिवार में विकलांग बच्चों को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए तथा इन बच्चों पर सामान्य बच्चों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार को चाहिए कि विकलांग बच्चो पर अधिक आर्थिक बोझ न दे। अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियॉ है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चो की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, जबकि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता नही होती। विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य या गंभीर रूप धारण कर चुका होता है।

अक्षम बच्चों के लिए समुदाय परिवार एवं भाई बहनो का तथा अध्यापको का संवेदीकरण एवं मार्ग दर्शन आवश्यक है। संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टि कोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चो के लिए सहानुभूति नही बल्कि सहायता की आवश्यकता होती है उनकी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता होती है।

विकलांग बच्चो का विकास खण्ड स्तर पर विशेष तरीके से सर्वेक्षण कराया गया तथा गम्भीर रूप से विकलांग बच्चो को सर्वेक्षण के आधार पर उन्हे चिन्हित किया गया। विकास खण्डवार गम्भीर रूप से अक्षम एवं विकलांग बच्चो के चिन्हीकरण का आकड़ा निम्नवत है–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	गम्भीर रूप से अक्षम एवं विकलांग बच्चो की संख्या
1.	औराई	134
2.	डीघ	150
3.	सुरियावॉ	119
4.	भदोही	142
5.	ज्ञानपुर	147
	नगर क्षेत्र भदोही	46
	योग	736

इस प्रकार कुल 736 बच्चे विभिन्न प्रकार की गम्भीर विकलांगता से ग्रसित है जो किसी भी विद्यालय में पढने नही जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकास खंडवार प्राप्त आकड़ों के अनुसार 737 विकलांग छात्र जनपद विभिन्न विद्यालयों में पढने जा रहे हैं। 736 विकलांग छात्र जो किसी विद्यालय में पढने नही जा रहे है उनकी शिक्षा हेतु जनपद स्वर पर कुछ केन्द्र आवासीय चलाने की योजना है।

शिक्षकों का संवेदीकरण/प्रशिक्षण –

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का विन्दु विशेष रूप से लिया गया है जिसमे विकलांग बच्चो को सामान्य बच्चो के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए विकास खंडवार 4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाना है तथा इन मास्टर ट्रेनर्स का दस दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन, रूहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली, अमरज्योति रिहेविलिटेशन एण्ड रिसर्च सेंटर, कर्करडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी, 13 लूकरगंज, इलाहाबाद में आयोजित किया जाना है।

शिक्षको द्वारा हस्त–पुस्तिका का विकास किया जाना है। पाँच विकलांगताओं–दृष्टि, श्रव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर तैयार किये जाने है। जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए "क्या आप कर सकते हैं?" फोल्डर विकसित किया जाना है विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चो में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा तीन की पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्यपुस्तक में "दोस्ती" नामक पाठ सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता के विषय को शामिल किया गया है।

शिक्षको के प्रशिक्षण के लिए विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश होता है।

1. विकलांग बच्चो का कार्यात्मक आकलन।
2. विकलांग बच्चो के शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
3. इन बच्चो के सभी समूहो के लिए शिक्षण सामग्री विकसित करना।
4. कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।

5. इन बच्चो इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श एवं मार्ग दर्शन देना।

6. विकलांग बच्चो के आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता पैदा करना।

संवेदीकरण –

: अक्षम बच्चो की शिक्षा के लिए निम्न संवेदीकरण आवश्यक है–

1. समुदाय का संवेदीकरण।

2. परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन।

3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला विन्दु परिवर्तन का है। अक्षम बच्चो के लिए सभी के सहानुभूति के स्थान पर सहायता की आवश्यकता है। अक्षम बच्चो की क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

उपकरण संचर्या का विवरण –

अक्षम बच्चो की विकलांगता का डिग्री एवं उपकरण तथा उपरकर की आवश्यकता ज्ञात कराने के लिए बच्चो की डाक्टरी जाँच आवश्यक है डाक्टरी जाँच में एक आर्थोपेडिक एक इ0इन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल असिसमेन्ट कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी। उपकरण एवं उपरकर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है इसमें कुछ संस्थाए निम्नवत है–

1. एलिम्को जी0टी0 रोड कानपुर– 208016

2. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, कर्करहूमा, विकास मार्ग दिल्ली।

3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट ट्रीटमेन्ट सेंटर।

4. मंगलम्, ए–445–इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

5. यू0पी0 विकलांग केन्द्र, 13 लूकरगंज इलाहाबाद ।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा के लिए तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जाती है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की शिक्षा के लिए कार्य कर रही हो और निम्न पात्रताएं रखती हो-

1. संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
2. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्रा में विशेषज्ञ की उपलब्धता।
3. विकलांग के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
4. संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा (विकलांग बच्चो के लिए जिले का बजट निम्नवत है)।

सारिणी 8.9

क्र0सं0	पद	दर/प्रतिब्लाक	सम्पूर्ण धनराशि
1.	मेडिकल असिसमेन्ट	2000.00	12000.00
2.	मास्टट्रेनर ट्रेनिंग	3075.00	61800.00
		500.00 टी0ए0	
3.	प्रा0 स्कूल अध्यापक	3 बैच	299600.00
4.	पिटिंग मैटेरियल	8000.00	48000.00
5.	उपकरण सामग्री हेतु	10000.00	60000.00
	योग		**481400.00**

स्वास्थय परीक्षण –

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मष्तिस्क का विकास होता है। शरीर एवं मन का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। छात्र की प्रारम्भिक अवस्था में स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनमें प्राप्त दृष्टिकोण दोष तथा शारीरिक–रोग एवं विकार को दूर नही किया गया तो छात्र देश, समाज एवं परिवार के लिए भार स्वरूप होगा तथा उसे न्यूनतम अधिगम प्राप्त करने में विशेष कठिनाई होगी। साथ ही विद्यालय में उसकी अनुपस्थिति अधिक दर्ज की

जायेगी। यदि बच्चें में किसी छुआ–छूत का रोग है तो उसका प्रभाव विद्यालय के अन्य बच्चों पर पडेगा।

स्वास्थय परीक्षणोपरान्त उनमें व्याप्त शारिरिक रोगों तथा विकारों को दूर करना अनिवार्य होगा। साथ ही विकलांग बच्चों की पहचान कर यदि आवश्यक हो तो अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है।

उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बी0ई0पी0 योजना अन्तर्गत स्वास्थ परीक्षण कराया गया जिसकी रचना निम्नवत् है–

उक्त स्वास्थय–परीक्षण से जितना लाभ–छात्रों को मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिला उसके निम्नवत् कारण है :–

1. सभी विद्यालयों में नियमित रूप से स्वास्थय परीक्षण का न होना ।
2. रोगी छात्रों का सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र पर समुचित इलाज न होना ।
3. विकलांगों का परीक्षण–सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र पर न किया जाना ।
4. डाक्टरों को प्रति विद्यालय की दर से मानदेय का प्राविधान न होने के कारण डाक्टर परीक्षण कार्य में विशेष रूचि नहीं लेते।

सर्वशिक्षा योजना में छात्रों के परीक्षण हेतु डाक्टरों को स्वास्थ–परीक्षण हेतु मानदेय का प्राविधान किया गया है जिससे विशेष रूचि लेकर छात्रों का नियमित परीक्षण करें एवं उनका समुचित इलाज हो सके। साथ ही विकलांग छात्रों का परीक्षण भी करें। इस कार्य हेतु प्रत्येक छात्रों के लिए स्वास्थ–परीक्षण कार्ड भी होना आवश्यक होगा जिससे उस छात्र के स्वास्थय के सम्बन्ध में अध्यापक/अभिभावकों को पूर्ण जानकारी हो एवं अभिभावक उक्त छात्र हेतु निर्धारित संतुलित योजना की भी व्यवस्था कर सकें।

सारिणी 8.10

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थय परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

क्रम	प्रा0स्वा0 केन्द्र का नाम	वि0 की संख्या	कुल छात्र सं0 जिनका परीक्षण किया गया	कुल छात्र सं0 जिनका वि0 में उपचार किया गया	छात्र सं0 जिनको संदर्भित किया गया			ब्लॉ0 स्वा0 केन्द्र में विकलांगो की परी0 तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
					गंभीर	गम	साधारण		मूक	श्रव्य	दृष्टि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	नई हरदोई पट्टी	2	325	75	00	00	8	-	-	-	-	-
2.	महदूद	06	1320	220	00	00	65	-	-	-	-	-
3.	हरिहरपुर	13	3442	00	00	00	65	-	-	-	-	-
4.	कसियापुर	13	4998	4861	00	13	95	-	-	-	-	-
5.	हसनपुर	02	9	28	00	00	08	-	-	-	-	-
6.	लालानगर	05	1331	259	00	00	84	-	-	-	-	-
7.	नई हरदोई पट्टी	02	346	81	00	00	06	-	-	-	-	-
8.								-	-	-	-	-
9								-	-	-	-	-
10								-	-	-	-	-
11.								-	-	-	-	-
12.								-	-	-	-	-
	योग		11863	5534	00	13	330					

स्रोत - विभागीय आंकड़े

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम –

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायतीराज संस्थाओं एवं समुदाय के बीच जवाबदेही एवं पारदर्शिता की कल्पना की गयी है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक करण के लिए सामाजिक सहभागिता एवं समुदाय की गतिशीलता अति आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता का बढावा देने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कई संगठनात्मक समितियों का चयन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य सामुहिका भागीदारिता को बढावा देना है। ग्राम शिक्षा समिति एक आधार भूत ढाचा है, जो शिक्षा क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता तथा समुदाय एवं स्कूल के बीच पारस्परिक एवं उद्देश्य नेतृत्व प्रदान करने के साथ–साथ समुदाय के साथ साथ समुदाय के बालकों एवं बालिकाओं के शिक्षा सम्बन्धी निर्णयों बालिकाओं की शिक्षा के अतिरिक्त (वी0ई0सी0

का उद्देश्य) स्कूलों को सामुदायिक संसाधन प्रदान करने के लिए स्कूलों एवं शिक्षा प्रणाली के सामुहिक स्वामित्व की भावना जागृत करना है। सामुहिक गतिशीलता हेतु निम्न कार्य करना आवश्यक होगा।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षाके प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के क़ार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूण्र योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस् आूप अप्रेजल तथा फील्ड् अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति –

ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान, सचिव प्रधानाध्यापक, दो अभिभावक तथा एक अनुसूचित जाति की महिला का होना अनिवार्य है। इस समिति की बैठक माह में एक बार होना अनिवार्य है। दोष यह है कि जनपद को विभिन्न ग्रामों की शिक्षा समिति की बैठक एक खानापूर्ति मात्र बन कर रह गयी है। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक की एक निश्चित तिथि पूरे जनपद के लिए होनी चाहिए जनपद एवं ब्लाक स्तर के अधिकारी भी इस समिति की बैठक में भाग ले सकें तथा से समिति के दिये गये सुझावों के अनुसार कार्य योजना का निर्माण कर सके।

इस बैठक का आयोजन एवं महत्त्व तहसील दिवस की तरह होना चाहिए। तहसील दिवस पर जिले स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होता है। ठीक इसी प्रकार किसी न किसी ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में जिले स्तर के अधिकारी को भाग लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों की सक्रिय सहभागिता हेतु उनकी सामर्थ्य निमार्ण के लिए कई सक्रिय कदम उठाये गये है। समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सदस्यों द्वारा प्राथमिक विद्यालय में नामांकन, ठहराव पर्यवेक्षण, भवनों का निर्माण एवं मरम्मत, बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक गतिशीलता, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्र, ग्राम शिक्षा के लिए प्रणाली का विकास आदि विषयों को समृद्ध करना है।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सामुदायिक क्रियाशीलता में कार्यरत है। यह सदस्य सूक्ष्म नियोजन के अन्तर्गत कई गतिविधियों का संचालन करते है। सर्वेक्षण के अनुसार जो बच्चे स्कूल के बाहर है, उनकी सूची बनाना एवं उनके माता–पिता को उन्हें एवं खासतौर पर बेटिओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में समिति के सदस्य के अतिरिक्त अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

स्कूल आधारित ढ़ाचों में ग्राम शिक्षा समितियों बालिका केन्द्रित कार्यक्रम जो इस परियोजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे है, उनको समन्वित करने में पूर्ण भूमिका बनाती

है। ग्राम शिक्षा समितियों को अपने गाँव में चलाये जा रहे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो/नवाचार शिक्षा जो मुख्यतः शालात्यागी, विकलांग एवं बालिकाओं के लिए है, के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व निभाना है। ऐसे केन्द्रों के लिए स्थान, शिक्षकों का चयन, शिक्षामित्रों का चयन, उनके मानदेय भुगतान, शिक्षा सम्बन्धी सामग्री का वितरण एवं इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण भी करना होगा।

आधार भूत स्तर पर महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी से सुनिश्चित करने के लिए माता शिक्षा संघ की स्थापना करना अनिवार्य होगा–

माता शिक्षक संघ की स्थापना –

महिला समूह को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एवं शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु माता शिक्षक संघ की स्थापना प्रत्येक ग्राम में करना आवश्यक है। इस संघ की अपने स्वरूप की परिभाषा करने पतिदर्श समूह विकास अनुगमन से सम्बन्धित अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सहायता की जानी चाहिए।

माता शिक्षक संघ का स्वरूप निम्न प्रकार निश्चित किया गया है :–

1. पंजीकरण एवं धारण के लिए सामुदायिक गतिशीलता।
2. विद्यालय को समुदाय के निकट लाने के लिए कार्य करना।
3. अनियमित उपस्थिति से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करना।
4. विद्यालय समय में लचीलापन लाना। विशेष तौर पर अमर इसका प्रभाव बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है।
5. नये पंजीकरण एवं ठहराव के लिए घर सर्वेक्षण आकड़ों का अनुवर्त्तीकरण।
6. समय पर बच्चों को पुस्तके मिलने का निरीक्षण करना।
7. विद्यालय से जाति एवं लिंग पर आधारित भेद भाव को दूर करना।
8. विद्यालय के कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करना।

माता शिक्षा संघ की माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य होना चाहिए साथ ही पूरे माह में संघ द्वारा किये गये शैक्षिक प्रयास, मानांकन आदि क्रिया कलाप की समीक्षा भी होनी चाहिए।

ऐसे संघों को शिक्षा के लिए, विशेष रूप से वलिया शिक्षा हेतु किये प्रयास के लिये पुरस्कृत भी किया जाना आवश्यक है।

शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना –

सामूहिक गतिशीलता देने हेतु शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना होनी चाहिए। इससे नामांकन ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को वढ़ावा मिलेगा।

नगर शिक्षा समिति की स्थापना एव सक्रिय बनाना –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ने केवल ग्रामीण अंचल वल्कि नगरीय क्षेत्र भी लिए गयें है। यद्यपि नगर शिक्षा समितियों की स्थापना पहलें से ही की गयी है परंतु यह समिति नगरों में निष्क्रिय ही है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगर शिक्षा समिति को ग्राम शिक्षा समिति की तरह सक्रिय वनाना है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता –

जव तक वालिकाओं की शिक्षा हेतु सामुदायिक गतिशीलता स्थापित नहीं की जायेगी। वालिका शिक्षा में वढ़ोत्तरी करना कठिन होगा।

1. वालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय प्रवन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को वढ़ावा।
2. महिला समूहों को संगठन एवं महिला समाज के साथ–साथ उनका समन्वयन।
3. ग्राम शिक्षा समिति, माता शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्ष संघ महिला प्रोत्साहन समूह के द्वारा संस्थाकरण की प्रक्रिया।
4. ग्राम शिक्षा समिति/शहर शिक्षा समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. वालिकाओं/वालकों के आवश्यकताओं के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को वढ़ाना।

व्लाक शिक्षा समिति, जनपद स्तरीय शिक्षा समिति की भी वैठक प्रति माह होना आवश्यक । व्लाक स्तर एवं जिला स्तर पर पूरे माह में किये गये कार्यो की भी समीक्षा होना आवश्यक

प्री–प्रोजेक्ट एक्टिनिटिज का विवरण –

सर्वशिक्षा अभियान का प्रोजेक्ट तैयार करने के पूर्व निम्न कार्य किये गये–

(अ) फोकस ग्रुप डिस्कशन–

जनपद के पाँच विकास खण्डों एवं नगर क्षेत्र भदोही के विभिन्न समुदायों से 9 ग्रुप डिस्कशन किया गया। निम्न सुझाव उभर कर आवें –

1. मानक के अनुसार विद्यालय में अध्यापक दि : जाय। अध्यापकों की कमी को सभी लोगों ने मत से स्वीकार किया।

2. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धि पर भी जोर दिया गया। यह भी बताया गया कि विकास अभियान में धन इतना नहीं रहता जिससे विद्यालय के सभी भौतिक संसाधनों की पूर्ति की जा सकें।

3. प्रत्येक विद्यालय में एक महिला शिक्षक आवश्य दिया जाय।

4. अल्पसंख्यक समुदाय एवं मलिन बस्तियों में यदि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला जाये या औपचारिक विद्यालय खोला जाय तो वहा इसी समुदाय/जाति के अध्यापक/अध्यापिकाओं/आचार्य जी की नियुक्ति किया जाय।

5. छात्रवृत्ति वितरण वर्ष में एक बार न कर प्रत्येक माह में मासिक छात्र वृत्ति की वितरण किया जाय इससे छात्रा नामांकन, उपस्थिति एवं धारण बढ़ेगा।

6. ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में समिति के सदस्यों के अतिरिक अभिभावकों/शिक्षा में रूचि लेने वाले सम्मानित ग्रामवासियों/नगर वासियों को भी आमंत्रित किया जाय।

7. अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय।

8. शैक्षिक गुणवत्ता का माह में एक बार अवश्य निरीक्षण किया जाय।

9. विद्यालय को जो भी धन किसी कार्य हेतु दिया जाय, उसकी प्राप्ति–व्यय आदि का विवरण स्कूल में दीवाल पर लगाया जाय जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

ब्लाक स्तर पर –

ब्लाक शिक्षा समितियों से सर्वशिक्षा अभियान के सम्बन्ध में वार्ता की गयी। ब्लाक स्तर पर ग्रुप डिस्कशन में निम्न मुद्दे उभर कर सामने आयी–

1. अध्यापकों की कमी को दूर किया जाय।
2. विद्यालयों में भौतिक संसाधन उपलब्ध करायें जाय।
3. विशेष समुदाय ,अल्पसंख्यकद्ध हेतु अलग से विद्यालय खोला जाय।

जिले स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, एन0जी0ओ0 आदि की बैठक सर्वशिक्षा अभियान के सम्पन्न बनाने हेतु उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु आयोजित की गयी जिसनें सभी ने मानक के अनुसार शिक्षकों की कमी एवं अध्यापकों की उपस्थिति पर चिन्ताव्यक किये। यह भी सुझाव आया कि अध्यापकों की कमी को देखते हूए अध्यापकों को बैठक में न बुलाकर समस्त सूचनाऐं संकुल प्रभारी से प्राप्त किया जाय।

जिला शिक्षा समिति की बैठक जिला पंचायत की अध्यक्षता में हुई जिसमें मलिन बस्तियों में विद्यालय खोलने एवं वहा उसी समुदाय के अध्यापक/अध्यापिका रखने का सुझाव प्राप्त हुआ। वह भी सुझाव आया कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र कम से कम आवश्यकता के आधार पर खोला जाये एवं उनका प्रभावी निरीक्षण किया जाय। विद्यालय को भौतिक संसाधनों से पूर्ण किया जाय तथा मानक के अनुसार पर्याप्त अध्यापक दिये जायें।

नगर क्षेत्र सर्वेक्षण (मदोही) –

नगर क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य जनगणना के साथ–साथ कराया जा रहा है। कार्य लगभग पूर्ण हो गया है जिसके आधर पर नगर क्षेत्रा के सर्वशिक्षा अभियान की योजना प्रस्तावित की गयी है।

वातावरण–सृजन –

ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कर इस योजना के वारे में विस्तार से वताया जाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से ही पूरे गॉव में इसका प्रचार प्रसार किया जाय जिससे ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले वालक वालिकाओं को अभिभावकों की तरफ से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाय ब्लाक स्तर एवं जनपद स्तर पर भी बैठक कर इस

योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाये। जन प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाय सर्वेक्षण के आधार पर जहाँ ड्राप आउट दर अधिक है तथा ई0जी0एस0 केन्द्र, वैकल्पिक केन्द्र, एवं ग्रीष्म कालीन शिविर चनाने की योजना है वहाँ पर अधिक से अधिक बैठके कर इस योजना के बारे में बताया जाय तथा विद्यालय न जाने वाले अभिभावकों की बैठक कर उनके बच्चो को विद्यालय लाने के लिए प्ररित किया जाय इसके सफल क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।

वातावरण सृजन हेतु विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शनिवार के दिन रैली का आयोजन किया जाना आवश्यक है तथा न्याय पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। जिससे कार्यक्रम के सम्बन्ध में सभी को विशेष जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनमे शिक्षा विद्यालय सम्बन्धी रूचि पैदा हो। विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय की पूर्ण सहभागिता प्राप्त की जाय।

ग्राम शिक्षा/नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण –

माइक्रोप्लानिंग सर्वेक्षण से ग्राम के निवासियों के जीवन स्तर तथा आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का पता चलता है इस कारण से ग्राम शिक्षा समिति की सहायता के लिए माइक्रप्लानिंग सर्वेक्षण आवश्यक है।

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु ग्राम शिक्षा समितियो/नगर शिक्षा समिति का तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से दिया जाय जिससे सर्वशिक्षा अभियान की सकल्पना साकार हो सके इन समितियो को जितना ही अधिक प्रशिक्षण दिया जायेगा वह इस योजना हेतु लाभकारी होगा चूकि इस योजना का कार्यान्वयन सबसे निचले स्तर ग्राम एवं वस्तियों से प्रारम्भ हो रहा है अतः सबसे निचले स्तर की समिति ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका इसमे अहम है ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समिति के माध्यन से वातावरण सृजन एवं प्रचार–प्रसार में काफी मदद मिलेगी।

अध्याय – 9
गुणवत्ता के लिए नियोजन

भदोही जनपद का सृजन मई 1997 में हुआ। इसके पूर्व यह वाराणसी जनपद का अंग था। जनपद मुख्यालय पर डायट स्थापित नहीं है तथा पूर्व में जनपद भदोही को डायट सारनाथ वाराणसी द्वारा अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाता था।

भदोही जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सारनाथ वाराणसी के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 5 बी. आर.सी. तथा 79 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रियों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है– प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा शैक्षिक संप्राप्ति में गुणात्मक विकास करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। 1– सार्वभौमिक नामांकन, 2– सार्वभौमिक धारण, 3– गुणात्मक संप्राप्ति । प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । इस कार्य में डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डाएट पर है । इस दिशा में डाएट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत् प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं । प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियॉं, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है । प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों

का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी. आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रति माह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।

3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

: प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद अलीगढ़ में डायट के नेतृत्व 487 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:—

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा

समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तक बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर मे वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये गये हैं । समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक

है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं ।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो । शिक्षक पशिक्षण की प्रतिवर्ष व्यवस्था की गयी थी।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है । बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं –

प्रथम चक्र में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रूचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

प्रशिक्षण के *दूसरे चक्र* में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा–शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया । भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के *तीसरे चक्र* के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग–1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियां एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के *चौथे चक्र* में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्यांकों को समझना, जोड़ने–घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंचम चक्र :

यह प्रशिक्षण भी 6 दिवसीय था तथा इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया–

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।

3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके। इस आशय से शिक्षकों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

उक्त प्रशिक्षणों में कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। जो विषय वस्तु शिक्षण की दृष्टि से कठिन प्रतीत होते हैं उन पर विशेष बल दिया गया। यह प्रशिक्षण भी आठ दिवसीय था।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद भदोही में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न विन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया –

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व सबधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
   - शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
   - एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
   - ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
   - डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकें (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये

प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

ऐक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बंधो को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयो

के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 'स्नातक' तथा 'प्रशिक्षित' (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से लगभग 65 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

विगत कई वर्षों से बी.टी.सी प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है जबकि ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 70 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित हैं या तो इससे कम योग्यता के लोग कार्यरत हैं। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते है। इसके वितरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि अधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त

बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 58 हजार छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर –

सारणी 1 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	744	87.80	8.10	744	88.34	9.07
कक्षा 5	878	92.21	4.13	878	91.22	5.24

स्रोत: एस०-ई०-एस० 2000

सारणी संख्या 1 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 87.80 प्रतिशत तथा मानक विचलन 8.10 है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 88.34 प्रतिशत एवं मानक विचलन 9.07 है। सारणी 1 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 92.21 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 4.13 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 91.22 प्रतिशत एवं मानक विचलन 5.24 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 2 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	399	80.30	8.10	399	87.20	8.00
गणित		88.40	9.00		88.30	9.20

स्रोत: एस०-ई०-एस० 2000

सारणी संख्या 2 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 80.30 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 88.40 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 88.4 प्रतिशत तथा गणित में 87.4 प्रतिशत है।

सारणी 3 : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	539	92.5	4.1	539	91.8	4.1
गणित		91.5	5.1		90.8	5.4

स्रोत: एस०-ई०-एस०

सारणी 3 प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 92.5 प्रतिशत जबकि गणित में 91.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 91.8 प्रतिशत तथा गणित में 90.8 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 4 : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	अनुजाति / जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	295	87.70	8.80	341	87.50	12.40
गणित		87.80	9.00		85.70	10.50

सारणी 4 दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 87.70 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 87.50 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 87.80 प्रतिशत एवं मानक विचलन 9.00 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 85.70 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.50 है।

सारणी 5 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि

कक्षाएं	अनुजाति / जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	264	92.00	3.9	143	87.7	8.8
गणित		90.9	5.3		91.3	5.30

सारणी 5 प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति की बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 92.0 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 87.7 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 90.9 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 91.3 प्रतिशत है।

सारणी 6 : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	387	68.45	27.05	523	49.35	35.80	744	87.80	8.10
गणित	387	58.43	28.85	523	56.57	24.29	744	88.34	9.07

सारणी 6 दर्शाती है कि कक्षा भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 87.80 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 49.35 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 68.45 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 88.34 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 58.43 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 56.57 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 6 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत

मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 45 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 7 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	773	43.13	12.87	505	45.67	13.17	878	92.21	4.13
गणित	773	37.35	13.73	505	44.23	19.20	878	91.22	5.24

सारणी 7 प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 43.13 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 45.67 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 92.21 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 37.35 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 44.23 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह बढ़कर 92.56 प्रतिशत रही।

सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.ए.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है।

'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष :

ए स्टडी आफ क्लासरूम प्रोसेसेज, सीमेट 1998–99 तथा 'क्लासरूम आब्जवैशंन स्टडी, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 के आधार पर जनपद में निम्नांकित निष्कर्ष उल्लेखनीय है :

1. सर्वेक्षण की तिथि को 95 प्रतिशत अध्यापक उपस्थित पाये गये। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षा एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते पाये गये। कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बालक पठन–पाठन कार्य में रूचि ले रहे थे। शिक्षक समय से उपस्थित पाये गये। कक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था में शिक्षक मेधावी छात्रों को पीछे और कमजोर छात्रों को आगे बैठाते हैं। विशेषकर बालिकाओं को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है।

2. इस व्यवस्था में कमजोर बच्चे लाभान्वित थे। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ पूछकर श्यामपट्ट पर लिखता है। पठन–पाठन को समूह में बारी–बारी पढ़ते हैं। मेधावी बच्चों के सहयोग से समूह में उच्चारण दोष का निराकरण करते हैं तथा शिक्षक स्वयं भी उच्चारण करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रखते हैं। प्रश्नोत्तर एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बाजार से बनी हुई सामग्री का प्रयोग हो रहा है। कुशल अध्यापक ही केवल स्व निर्मित सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के अध्यापक शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद भदोही कालीन उद्योग के [illegible] जाना जाता है। इस उद्योग में बाल श्रमिकों की संख्या भी

है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, या इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते है। जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है।

श्रमिक बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई–

बहुकक्षा शिक्षण की समुचित रणनीतियों तथा शिक्षण सामग्री की जानकारी शिक्षकों को नहीं है। लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। कुछ अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अंग्रेजी शिक्षण हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद भदोही में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) नहीं है। अतः एक डायट की स्थापना की जायेगी। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव

के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत, इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण साम्ग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 25 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियां सम्बन्धी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.

आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 25 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनको एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 25 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 26 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 27 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्ष से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर

आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति

प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय

की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी. ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण– जनपद के 197 शिक्षामित्रों तथा 50 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 50 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों संचालित किये जायेंगे तथा इनकी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग I व II) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने,

सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी ए. बी. एस. ए., एस. डी. आई प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा

एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कायालय के अभिकामेयों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला।

सारणी – 4

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन / समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन / समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन 6 घण्टे	6 वादन / 4 घण्टे 30 मिनट
भाषा–2 अंग्रेजी	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	6 वादन / 4 घं. 30 मि.
भाषा–3 संस्कृत	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	4 वादन / 3 घं.
विज्ञान	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि.
गणित	9 वादन / 6 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि
सामाजिक विषय	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि
समाजपयोगी कार्य	3 वादन / 2 घण्टे	6 वादन / 4 घं. 30 मि.
कला शिक्षण	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	8 वादन / 6 घं.

स्रोत – डायट, सारनाथ वाराणसी

सारणी – 5

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220 दिन	220 दिन
परीक्षा	08 छमाही सालाना	12
अन्य कार्य	15	05
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
: समुदाय से सम्पर्क	08 दिन	08
शिक्षण दिवस	179 दिन	185

स्रोत – प्राथमिक विद्यालय, भदोही

उपर्युक्त सारिणी–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 179 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 185 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 150 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 1.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा

कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 15 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 22.50 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्यक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वहन किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, बी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता का विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके डायट के स्टाफ़ सदस्यों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु डायट स्तर पर अकादमिक संदर्भ समूह की स्थापना की जायेगी। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञों, योग्य शिक्षक आदि सदस्य होंगे। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्यक है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात् इनकी प्रदर्शनी बी0आर0सी0 स्तर तथा जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों में निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट स्तर पर की जायेंगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों की और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ा की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति

का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया की संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतकों (इण्डीकेटर्स) का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में

अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि। डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन

7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
8.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
9.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटीरियल का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों / बालश्रमिकों हेतु संचालित शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, चुने हुए शिक्षक	05 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. अपना प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत किया जायेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार किया जायेगा। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।

- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

वर्ष 1994–95 में भदोही जनपद में उच्च प्रा0 वि0 में तीन वर्ष के लिए बालिकाओं के लिए कार्यनुभव कार्यक्रम (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई) संचालित कर प्रशिक्षण दिया गया। बालिकाओं के लिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिस स्थान पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इसे हेतु सर्वप्रथम जनपद के 5 विकासखण्डों तथा नगर क्षेत्र भदोही में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, बेकरी उद्योग तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होंगे। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री– उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/ कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरांत अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा। इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय प्रस्ताव पृष्ठ 59 पर दिये गये हैं।

नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

जनपद भदोही में इस समय ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है। जो ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में संचालित था, वह ज़िले के विभाजन के फलस्वरूप जनपद वाराणसी में चला गया है। इसलिये जनपद में नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नवीन स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है। नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु टीचर एजूकेशन स्कीम के अन्तर्गत पृथक से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं अन्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

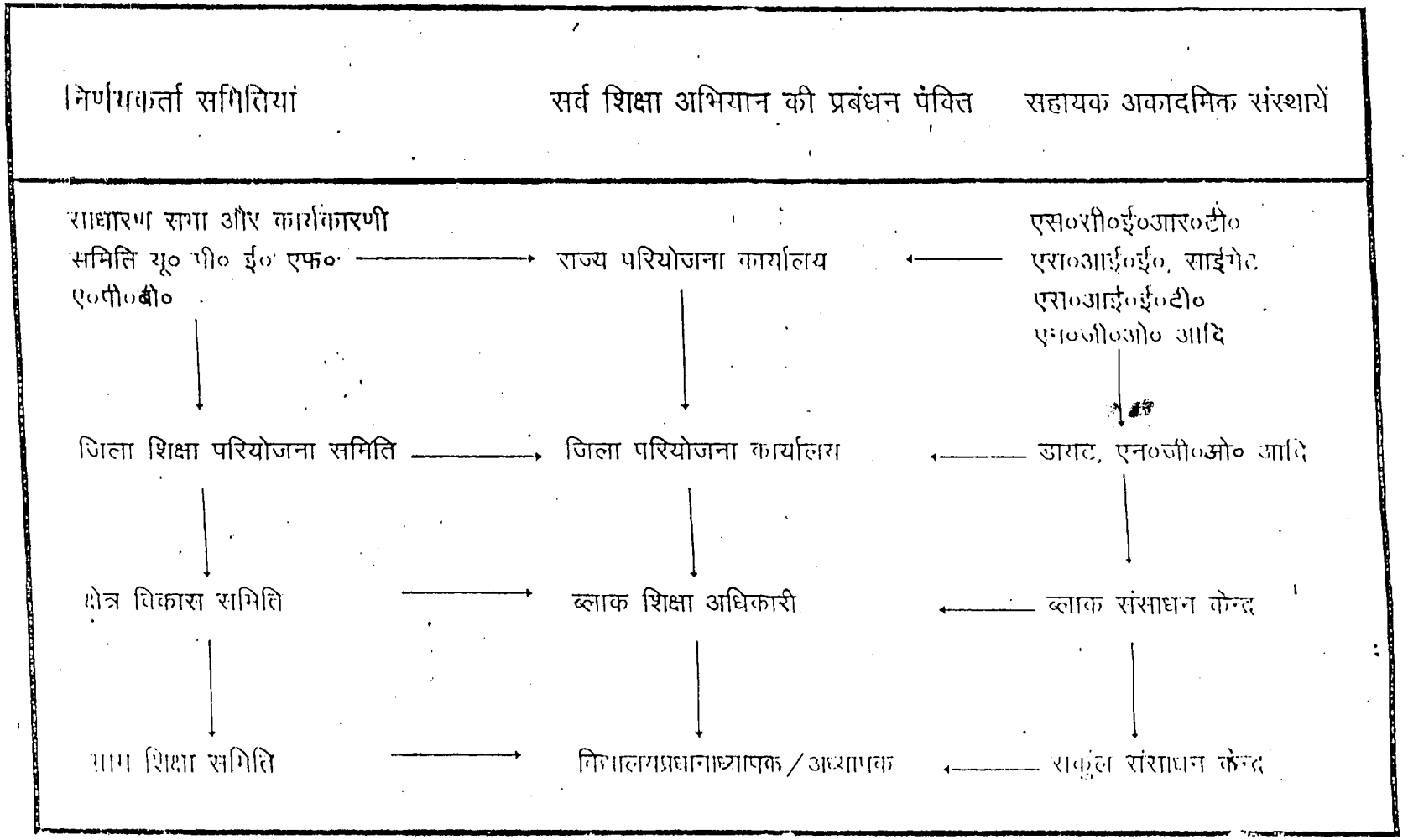
निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साईमेट
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक
क्लस्टर संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक **बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।** : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और। सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम, उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर सें प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1. ब्लाक प्रमुख — अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक — सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे।। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा।। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन विल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व सर्वेक्षण हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सका वस्तुतः जिला पारयाजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद के ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर ऑपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडें तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयें हेतु असेवित बस्तियें की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियें की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियें की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यक्ता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयें का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयें की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयें व न्याय पंचायतें का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित करना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अधिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्वन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

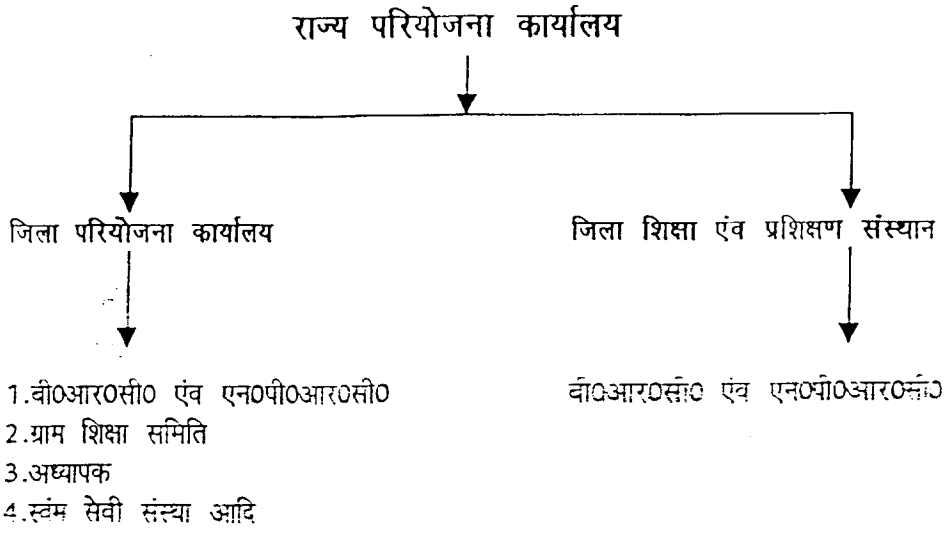

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफैरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियाान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अनुलग्नक - II

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	10	2590	8	2072															18	4662
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	60	20280	40	13520	19	6422													119	40222
2	Salary of PS Asstt Teacher(New School)	7+2 2x12	10	552	18	1987	18	1987	18	1987	18	1987	18	1987	18	1987	18	1987	18	1987	154	16448
3	Salary of Teacher in UPS (4No) in new school 4A M /school	78 1/Year 7 = 12	240	10080	400	33600	476	39984	476	39984	476	39984	476	39984	476	39984	476	39984	476	39984	3972	323568
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7 5=12			60	5400	100	9000	119	10710	119	10710	119	10710	119	10710	119	10710	119	10710	874	78660
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15			18	270															18	270
	UPS	50			100	5000	19	950													119	5950
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Total		321	33702	645	62049	633	58543	614	52881	614	52881	614	52881	614	52881	614	52881	614	52881	5283	471580
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10																			0	0
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200				
	Total		0	0	1	200	0	0	0	0	1	200	0	0	0	0	1	200	0	0	3	600
	Interventions for out of school children																					
A3	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS																					

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	1500	1058	3000	2115	3000	2115	3000	2115	1500	1058									12000	8461
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Upper Primary	1.0 per child					420	420	420	420	420	420	420	420	420	420					2100	2100
	Total		1501	1108	3001	2165	3421	2585	3421	2585	1921	1528	421	470	421	470	1	50	1	50	14109	11011
A4	Back to school campaign	1.5 per child	30	45	40	60	40	60	30	45											140	210
	Innovation for EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child			50	75			50	75			50	75							150	225
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		1852	34855	3738	64599	4094	61188	4115	55586	2536	54609	1085	53428	1035	53351	616	53131	615	52931	19686	483678
(R)	RETENTION																					
	Additional Classrooms (PS)	70			150	10500	100	7000	78	5460											328	22960
	(UPS)				50	3500	40	2800	26	1820											116	8120
	Additional Teachers Primary School	7.7×12	192	8870	388	35851	486	44906	574	53037	680	62832	772	71333	829	76599	887	81959	940	87410	5754	522797
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5																			0	0
R1	Toilets (PS + UPS)	10	150	1500	100	1000	82	820													332	3320
	Rec. of Old PS	191			20	3820	10	1910	6	1146											36	6876
	Rec. of Old UPS	270			3	810	2	540													5	1350
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	20	360	10	180															30	540

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	633	3165	633	3165	633	3165	633	3165	633	3165	633	3165	651	3255	770	3850	770	3850	5989	29945
	Repairs (PS+UPS)																					
	Minor	20			149	3980	101	2020													250	6000
	Major	70			35	2450	19	1330													54	3780
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	300	12000	150	6000	123	4920													573	22920
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school			10	20	18	36	18	36	18	36	18	36	18	36	18	36	18	36	136	272
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school			60	120	100	200	119	238	119	238	119	238	119	238	119	238	119	238	874	1748
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp	21	210	21	210	21	210	21	210	21	210	21	210							126	1260
R6	MCDA including	75 per cluster	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150					14	1050
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for girls	25 per school	1	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	17	425
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																			0	0
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100	1	100							1	100					1	100			3	300
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
5	TLM	5 per centre	20	100	50	250	50	250													120	600
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	20	90	70	315	120	540	120	540	120	540	120	540	120	540	120	540	120	540	930	4185
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			20	30	70	105	120	180	120	180	120	180	120	180	120	180	120	180	810	1215

136

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	20	60	50	150	50	150													120	360
	Recurring	1.2			20	24	70	84	120	144	120	144	120	144	120	144	120	144	120	144	810	972
R10	Community Mobolisation																					
1	MTA/PTA training	0.007	4260	30	4260	30	4260	30													12780	90
2	Kala Jathn (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	79	632	79	632									79	632	79	632			316	2528
3	Development of Awareness Material	5 per block	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30	6	30							36	180
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	79	395	79	395	79	395	79	395	79	395	79	395	79	395	79	395	79	395	711	
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10					1	10					1	10					3	30
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10					1	10					1	10					3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district																			0	0
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R12	Award of Best Shiksh Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award for Best BRC	10 per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award for Best NPRC	7 per Block	5	35	5	35	5	35	5	35	5	35	5	35	5	35	5	35	5	35	45	315
R12c	Award for Best Teacher	5 per Block	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	45	225
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	1548	1091	1548	1091	1548	1091													4644	3273
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1473	1768	1473	1768	1473	1768	1473	1768	1473	1768	1473	1768	1473	1768	622	746	622	746	11555	13868

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000							60	6000
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	633	317	633	317	703	352	751	376	770	385	770	385	770	385	770	385	770	385	6570	3287
																					0	0
	Book Bank & School Library PS+UPS	5.0 per school	633	3165			70	350	48	240	19	95					770	3850			1540	7700
																					0	0
	Sub Total (B)		10119	35213	10097	77973	10264	76337	4224	70140	4209	71453	4281	79759	4400	84527	4493	93240	3702	94109	55789	682751
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	192	403	196	412	98	206	88	185	106	223	92	193	57	120	58	122	59	124	946	1988
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	192	81	196	82	98	41	88	37	106	45	92	39	57	24	58	24	59	25	946	398
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	10	4	8	3															18	7
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	60	25	40	17	19	8													119	50
5	In Service Teachers Training (6 Days)	0.07 per person per day	3689	2582	3885	2719	3983	2788	4071	2850	4177	2924	4269	2988	4326	3028	4384	3069	4443	3110	37227	26058

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day																			0	0
7	Induction training of EGS/AIE worker (30 Days)	0.07 per person per day	50	105	50	105	24	50													124	260
8	Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day			192	202	388	407	486	510	574	603	680	714	772	811	829	870	887	931	4808	5048
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			50	53	100	105	124	130	124	130									398	418
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	5	4																	5	4
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	79	55																	79	55
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	40	16
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			79	28	79	28	79	28	79	28	79	28	79	28	79	28	79	28	632	224
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	20	28	180	252
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	225	477
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	756	1134

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0150 per	94729	14209	96810	14522	98339	14751	101117	15168	103341	15501	105615	15842	107938	16191	110313	16547	112740	16911	930942	139642
		Child per year																			0	0
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	497	249	497	249	515	258							515	258	515	258	515	258	3054	1530
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	136	136	136	136	196	196	236	236					255	255			255	255	1214	1214
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000									1	1000					1	1000	3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160			1	160			1	160			1	160			1	160	5	800
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10	1	10											4	40
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each											1	400					1	400	2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each											1	400					1	400	2	800
12	School Awards	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
	Total		99750	18166	102461	17635	104665	18390	107619	18756	109819	19109	112279	21182	115484	20461	117719	20460	120523	23098	990319	177257
	Subtotal (C)		112030	24445	115408	24363	116033	25098	114001	23717	118546	23773	117648	25395	120932	24723	123284	24824	128337	27759	1066219	224097
C1	DIET																					
	Civil Work	5000																			0	0
1	Furniture	100																			0	0
2	Equipments (including Audio Visual)	300																			0	0
3	Computers Work Station	600																			0	0
4	Vehicle (where appicable)	350																			0	0

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	Hiring	5																			0	0
6	POL	30																			0	0
7	Maintenance of Vehicle	20																			0	0
8	Research/Action Research	200																			0	0
	Seminars	200																			0	0
9	Faculty Development	30																			0	0
	Publication	400																			0	0
10	Exposure visits	50																			0	0
11	Library	25																			0	0
	Contingency	100																			0	0
12	Salary of Computer Operator	7																			0	0
13	Salary of Driver (where applicable)	4																			0	0
14	Consumable/Computer Stationary	10																			0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt. Coordinator (1 No)	5.5	5	165	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	5	330	45	2805
4	Chowkidar	3*12																			0	0
5	Equipment/Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	25	5	26	5	25	5	25	45	225
7	Mnint of Equipment	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	45
8	Maint of building	6	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	5	30	45	270
9	Books	10	1	10			1	10			1	10			1	10			1	10	5	50

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SANT RAVIDAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4 1	MIS																					
1	MIS Call Furnisning	50																			0	0
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	27	2142
	Salary of MIS Officers	10 x 12	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460																	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20											1	20	1	20	1	20	1	20	4	80
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		7	691	6	417	6	417	6	417	6	417	7	437	7	437	7	437	7	437	59	4107
	Sub Total (D)		2905	4157	3093	3586	3286	3641	3362	3660	3436	3695	3357	3310	3360	3380	3357	3310	3437	3715	29593	32454
	Grand Total		126906	98670	132336	170521	133677	166264	125702	153103	128727	153530	126371	161890	129727	165981	131750	174505	136091	178514	1171287	1422978

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

SUMMARY OF PROJECT COST - II

SANT RAVIDAS NAGAR - BHADOHI

(Amount in Thousand

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	34855.00	35213.00	24445.00	4157.00	98670.
As % of Total Project Cost	35.32	35.69	24.77	4.21	100.
2002-2003					
Amount	64599.00	77973.00	24363.00	3586.00	170521.
As % of Total Project Cost	37.88	45.73	14.29	2.10	100.
2003-2004					
Amount	61188.00	76337.00	25098.00	3641.00	166264.
As % of Total Project Cost	36.80	45.91	15.10	2.19	100.
2004-2005					
Amount	55586.00	70140.00	23717.00	3660.00	153103.
As % of Total Project Cost	36.31	45.81	15.49	2.39	100.
2005-2006					
Amount	54609.00	71453.00	23773.00	3695.00	153530.
As % of Total Project Cost	35.57	46.54	15.48	2.41	100.
2006-2007					
Amount	53426.00	79759.00	25395.00	3310.00	161890.
As % of Total Project Cost	33.00	49.27	15.69	2.04	100.
2007-2008					
Amount	53351.00	84527.00	24723.00	3380.00	165981.
As % of Total Project Cost	32.14	50.93	14.90	2.04	100.
2008-2009					
Amount	53131.00	93240.00	24824.00	3310.00	174505.
As % of Total Project Cost	30.45	53.43	14.23	1.90	100.
2009-2010					
Amount	52931.00	94109.00	27759.00	3715.00	178514.
As % of Total Project Cost	21.77	52.72	15.55	2.08	100.00
GRAND TOTAL	483676.00	682751.00	224097.00	32454.00	1422978.00
As % of Total Cost	33.99	47.98	15.75	2.28	100.00

अनुलग्नक -12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	10	2590	10	2590
:						
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	60	20280	60	20280
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School)	7+2.2x12	10	552	10	552
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	78 1/Year 7 × 12	240	10080	240	10080
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12				
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Total		**321**	**33702**	**321**	**33702**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10				
	Cohart Study	200				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	1500	1058	750	529
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
	Upper Primary	1.0 per child				
	Total		1501	1108	751	554

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
A4	Back to school campaign	1.5 per child	30	45	15	23
	Innovation for EGS	50				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child				
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		**1852**	**34855**	**1087**	**34279**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms (PS)	70				
	(UPS)					
	Additional Teachers Primary School	7.7×12	192	8870	192	8870
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	150	1500	150	1500
	Rec. of Old PS	191				
	Rec. of Old UPS	270				
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	20	360	20	360
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	633	3165	633	3165
	Repairs (PS+UPS)					
	Minor	20				
	Major	70				
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	300	12000	300	12000
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school				
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school				
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				
	Promoting Girls Education					

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Summer Camps	10 per camp	21	210	11	105
R6	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster	2	150	1	75
R7	SUPW for girls	25 per school	1	25	1	13
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100	1	100	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre	20	100	20	100
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	20	90	20	90
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre				
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3	20	60	20	60
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA training	0.007	4260	30	4260	30
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	79	632	40	316
3	Development of Awareness Material	5 per block	6	30	3	15
4	Bal Mela at NPRC	5 pa per NPRC	79	395	40	198
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	1	5
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district				
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50
R12	Award of Best Shiksh Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award for Best BRC	10 per Block	1	10	1	10
R12b	Award for Best NPRC	7 per Block	5	35	5	35
R12c	Award for Best Teacher	5 per Block	5	25	5	25
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	1548	1091	1548	1091
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1473	1768	737	884
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	5	500
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	633	317	317	159
	Book Bank & School Library PS+UPS	5.0 per school	633	3165	317	1583
	Sub Total (B)		**10119**	**35213**	**8650**	**31357**
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	192	403	96	202
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	192	81	96	41

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	5	2	3	1
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	50	75	25	38
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	2130	192	1065	96
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	10	700	5	350
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	4382	1534	2191	767
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	4	14	2	7
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	10	25	5	13
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	1274	268	637	134
	Total		**12280**	**6279**	**6140**	**3140**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3689	1845	3689	1845
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	693	347	693	347
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0150 per Child per year	94729	14209	94729	14209
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	497	249	249	125
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	136	136	68	68
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	500

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	80
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	80
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each				
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each				
12	School Awards	25	2	50	2	50
	Total		**99750**	**18166**	**99432**	**17309**
	Subtotal (C)		**112030**	**24445**	**105572**	**20448**
C1	**DIET**					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including Audio Visual)	300				
3	Computers Work Station	600				
4	Vehicle (where appicable)	350				
5	Hiring	5				
6	POL	30				
7	Maintenance of Vehicle	20				
8	Research/Action Research	200				
	Seminars	200				
9	Faculty Development	30				
	Publication	400				
10	Exposure visits	50				

154

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
11	Library	25				
	Contingency	100				
12	Salary of Computer Operator	7				
13	Salary of Driver (where applicable)	4				
14	Consumable/Computer Stationary	10				
	Total					
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator (1 No)	5.5	5	165	5	165
4	Chowkidar	3×12				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5	5	25	3	13
7	Maint of Equipment	1	5	5	3	3
8	Maint of building	6	5	30	3	15
9	Books	10	1	10	1	5
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	633	190	317	95
11	Consumables	5	5	25	3	13
12	Contingency	12	5	60	3	30
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	60	18	30	9
	Total		**724**	**528**	**365**	**347**
C3	School Complex (NPRC)					
1	Maintenance of Building	5				

155

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5	79	395	40	198
5	Contingency	25	79	198	40	99
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	79	190	40	95
7	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0.200 per school	633	127	317	64
	Total		**870**	**910**	**435**	**455**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	852	1	426	1	426
	Furniture	50	1	50	1	50
	Equipment	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	9	450	12	600
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50
	Salary of Driver	4	1	48	1	48

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5	79	395	40	198
5	Contingency	25	79	198	40	99
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	79	190	40	95
7	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0.200 per school	633	127	317	64
	Total		870	910	435	455
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	852	1	426	1	426
	Furniture	50	1	50	1	50
	Equipment	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	9	450	12	600
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50
	Salary of Driver	4	1	48	1	48

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SANT RAVI DAS NAGAR BHADOHI

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Petrol for Moter cycle	12	12	144	12	144
	Honrarium of JE/AE	6 per block	5	360	5	360
	Rent for DPO	5x12	1	60	1	60
	Maintenance of equipment	10				
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	633	100	633	100
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	633	190	633	190
	Total		**1304**	**2028**	**1307**	**2178**
C4 1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50				
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	3	126
	Salary of MIS Officers	10 x 12	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of equipments	20				
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		**7**	**691**	**7**	**691**
	Sub Total (D)		2905	4157	2114	3671
	Grand Total		126906	98670	117421	89754

157

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11491
DOC, No ....
Date 09-07-2002.

परिशिष्ट

क्रम-संख्या—177

रजि0 नं0 एस0एस0/एन0पी0 ...

लाइसेन्स नं0 ...

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1(क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ज) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में इनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ङ) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (च) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (छ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी दान अथवा पुरस्कार का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

Omission of section 12-A

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*.

Insertion of new section 13-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Over riding effect

"13-A. Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

Amendment of section 14

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*;

Amendment of section 17.

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*.

Repeal and savings

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

539
3/6/99

संख्या: 2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

....2....

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तदनुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आँगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आँगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (मा0/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
12- शिक्षा xxxx विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र शर्मा)
अपर सचिव

(ब) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

1।। प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथ प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1।।। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- 1।। शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरगना स्थल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसकी समस्याओं का समाधान

किया जावेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जावेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जावेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक / प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।\V। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जावेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार सेवा समाप्त कर सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती है।

अनुदान की व्यवस्था

13- ।।। इस योजना के अधीन 'शिक्षा मित्र' के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान योजना तथा गैर परिषदीय जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति से उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जावेगा तथा एक वित्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी वित्त पूर्व स्वीकृत वित्त के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जावेगी। धनराशि दो समान किस्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जावेगी।

.....

14- प्रस्तर -13 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(वे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(वे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(वे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. <u>शिक्षा मित्र की अर्हतायें:</u>

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. <u>शिक्षा मित्र का कार्यकाल:</u>

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. <u>शिक्षा मित्र का मानदेय:</u>

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. <u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:</u>

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अहता एव आयु सीमा के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप मे शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवाये सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक मे आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी स्वघोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रो का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रो से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध मे सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक मे सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची मे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम मे सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय म कुल रख जान वाल शिक्षा मित्रा म 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय मे 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप मे दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप मे नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नही रखा जायेगा जिस कन्द्राय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों मे लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रख जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय मे प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,
अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
: ग्राम पंचायत -.....
जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध मे वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम .
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -
   (क) हाई स्कूल श्रेणी प्राप्तांक
   (ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक
   (ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 श्रेणी प्राप्तांक
5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।

दिनांक- भवदीय,

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादामिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तक संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shanker

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(ओ0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नि.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते है तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्जारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जावे तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में, यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं {बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा} का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.......4/-

यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जावेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक : रा0प0नि0/ 539 /2001–2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी सामिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (अई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या–2000/79-2-2000-2/13(9)/93

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

बाह्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" (डी०पी०ई०पी०) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजुकेशन (ई०सी०सी०ई०) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में पढ़ सकें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहाँ के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई०सी०सी०ई० केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई०सी०सी०ई० केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् अतिरिक्त मानदेय के रूप में धनराशि दी जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री — रु0 250/-

2- [illegible] — रु0 125/-

जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर [illegible] प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी। प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

5— परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रू0 5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रू0 1500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रू0 5000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी। आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी। अतः रू0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी।

6.— आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से करें तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का नाम से लेखा-जोखा रखा जाए।

7— प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे [illegible] नींबू, अमरूद या पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। इन पेड़ों की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक [illegible] का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी केन्द्रों की जमीन के आकार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से बच्चों को प्राकृतिक रूप में [illegible] उपलब्ध हो सकेगा।

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करे और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी।
4- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(राम बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्रम सं० जनपद का नाम		विकास खण्ड का नाम	संख्या	
1	2	3	4	5
1-	देवरिया	दरहअ	35	तलरही, दौलत, मंझिल, सड़का भाग, देवा, रामपुर, हरखपुर, बघापार, करसड़ा, हरसहा, हरदर, हरदोहा, कोटवा, परसिया, बसोदर, बहिहई, हतायपरा, रामपुर उपाध्याय, लक्ष्मी गंगा, हरसड़ी, मंगापुर, नारायनपुर, कठेसर, जयनगर, दरियापुर, कुकड़, सिसरादुर, बहुवा छपरा, हरदी, महेश, मालिया, पसहटा, देवपार, कोहुआ, हाथिया बुजुर्ग, बजरामोहा, सिसोपुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर तपरी।
		रुद्रपुर	18	मझना, पकड़ियरवा, मलिकपुर, सतुराजनगर, रामगढ़, कहलोली, गेगटसिया, भरौलिया, कुशहरा, गोछिया तिवारी, लकड़ा, जगन्नाथ, पचिवारी, सरायकुई, रामपुर, शीतलमाई, तारापुरवा, सहसहा।
		सलेमपुर	10	बेरा, नवलपुर, मीरपुर, देवरिया ताले रामपुर, हरपुरखोर, भगरौली, नकटा गोसाई, बांसपतिया, शिव डामाली, महथौली।
		बैतालपुर	12	मुकुन्दपुर, जगदीशपुर, पैकड़िया, गोविन्दपुर, पाण्डेयपक, करमैल बजरही, पतईपुर, परतरी परवार, ओकहराजा, तेरई, अमवा, महराजगंज, ईटवा।
2-	गोरखपुर	चौरीचौरा	67	लक्ष्मीपुर, परसौना, करमौता, पुरवा, नरकटा, नोगई, रघवा, देवगढ़, मलिकुन्डा, रिमुहार, कोइर, पिपरडीह-1, डिबौली, पकड़ियार, मझवहा, मुंडेरा, भरौरा, भगवानपुर, रामपुर, फरौली, पिपराइच, गौरा, गिजुरखरी-1, कोठी-1, मालौली, डेमसी, सिरसाई, कतरदेवा, सोनिकी, रामापुर, दुरखहरी, निबहरा, दुरलाज-1, मिथरी, भगवानपुर, बुआनिया, बुलाखीपुर, सिसोह, केवटा, महुआ, पाण्डेय, कोशाभिघ, सिलौली, ओदार, बरसोहा, पिडरिया, शीतलपुर, ओझरिया, बैराप-1, अजबरिया-1, पाण्डेयपकोई, हुसार, बरहौ [illegible]

दुद्धी 44 बीडर, रनटू, दुम्हाल, मझुवरवा, जुगतिझरिया, खजोरा, झारोफला, कटौली, झारोकुर्द, पिपराडी, मझौली, रजू, मरदेवा, पटाड़, चपरी, टेड़ा, धीहा, कमर्या, डम्बार, सिमिनाडीह, पिपरडीह, गगहुर, हरहरा, महुली, दारिदा, मडीसेमर, बसैयाडीह, टरती, डोलदा, धुम्बेल्वा, फोलिकड्या, जाताजुड़ा, केवाल रज रक्कड़-II, दुम्हाल-II, डगाली, बरसात खजोर। जसला, कटौली, खाजरा, मझुजरिया, डुमरडीहा, अंपर, दीहम। डुमरडीहा।

3- ललितपुर मड़ावरा 16 रहमाँव, गुरयाना, वेरपारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, गौना, भौना, रजपुरा, झकौना, बलंदर, पड़रीकला, चौलदा, धौरीसागर, बमराना, उलदनापुर्द, डोमरा

पिरधा 04 बालाबेहट, खजुरिया, पटलेमरा, धौरी।

बार 25 पारौल, टोड़ी, केलगवां, जरावली, मोगाव, बार, बंगर, देवराव, धिंगलोजा, नाड़पुर, डमराना, खारीटोरव, हैलोलीतोच, गैदोरा, दसवारा, लवाा, महरारा, आरौली, बगारा, हीरापुर, मिलता, करजई, सिदौरा, हैतपारा, गावली।

जखौरा 03 पितरा, सिवनीदुर्द, बगरौआ।

महरौनी 03 पठा, फम्हेड़ी, बेलयारा।

तालबेहट 24 करेगा, बजुरंकला, पिजरौठा, बोलाई, मर्याव, मऊ, कोटरा, डहुदा, सिजवपुरा, पूराकला, दुरावली, झरेरा, कछेरताँ, लेरपाकला, पिजरौठा, सिडारीपुरा, राजीपुरा, भादौनी, बडेहरा, झुटोरा, कड़ारी, रजरा, झगोरी, हाँता, रजापड।

4- हरदोई पथीरगंज 25 रोठा, कोतला, सगोई-भोटा, कतिलवा-नाजापुर, सिसइया, वैंगल, पतरेल, नामी हरनापुर, सईपुर, सिरौली गंज, रहोडिया, उरेरा, हरनापुर, पोरसपुर, ध्रुआ, बीरापुर, पिकरी, नानपुर, बरीर, छोटा, बरेतारी, हारा, मलिकनोटिया, सिहटा, सकोरा हसनापार।

	[illegible]	25	मुहम्मदाबाद, [illegible], [illegible], देवपुर, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], उदयपुर, [illegible], [illegible] ।
5- महराजगंज	परिक्षेत्र	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवीपुर, महुअवा, [illegible], [illegible], [illegible] ।
	महराजगंज	15	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], महुअवा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible] ।
	सिसवा	10	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
	फरेन्दा	40	[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], फरेन्दा[illegible], [illegible], गोपालपुर [illegible] [illegible], [illegible] देवी [illegible], [illegible], [illegible] । पंचरुखी, हरपुर, फरेन्दा[illegible], [illegible], [illegible] ।
6- शाहजहाँपुर	पुवायाँ	21	[illegible], [illegible] ।
	[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

........4

|

			[illegible]रसा, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], पुरी, कोपिया, अयहिया । अमेठी ।
[illegible]	[illegible]	16	[illegible]हरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]लीपुर, रामपुर, [illegible], दे [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible] [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible] ।
	[illegible]	09	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
	[illegible]	15	[illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर [illegible], [illegible]पुर [illegible], [illegible]पुर [illegible] [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर ।
10– [illegible]	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
11– हरदोई	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]गंज–।।, [illegible], [illegible]–।, [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]–।, [illegible], [illegible]–।, [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]–।, [illegible], [illegible] [illegible] ।
	[illegible]	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]–।।, [illegible]–[illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।

12-	बरेली	बरेली शहर	124	इ[illegible]तनगर, बाड़बाई, बंध्यनगर, सिविलटोला, राजेन्द्रनगर, [illegible]पुरी, [illegible], प्रेमनगर, [illegible], [illegible]हाता, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]रान, [illegible]नगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बृहर, रघड़ी टोला, बराबमल, मीरलहौर, बोबीहेर, नेहटाबुर्ग, रिरपुर, हईरती, प्रमनिवार, [illegible]अकर, [illegible] की छावनी, टेरडेबा [illegible], [illegible], दुर्गापुरी, देवपुर, बीबाईवाजार, छटरायारंजा, दारजी कि बस्ती, मीरनगर, कुन्ड, मजरदपुर, नवरी घोरी, दलीवांग, [illegible]दाब, बांपता, बैतपुर, दरीस्पुर, हसाडा, मिरदरपुर, बदावपुर, बाकुलतागंज, नेहटाबुर्ग, रहटूई परीना, पुलाती, [illegible]डिया कुर्द, मुदरपुर, [illegible]ताई, [illegible]तनगर, ठजरपुर, [illegible]पुर, [illegible]पुर, [illegible]डोरा, [illegible]तनगर, सोहराहतवुर, [illegible]डियाफैजुल्लापुर, [illegible], पीवनी, [illegible]पुर, मधुरदांडी, [illegible], [illegible]-11, मदमवां, राजपुरकलां-11, [illegible]ता-11, [illegible]पुर-11, [illegible]नगर-11, [illegible]-11, अतरछेड़ी-11, शिवपुरी-11, मी[illegible]पुर-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]पुर-11, [illegible]-11, [illegible]-11, नैनी-11, मुड़िया-11, [illegible], [illegible]-11, [illegible]-11, राजेन्द्रनगर-11, [illegible]-11, [illegible]-11, [illegible]पुरा-11, [illegible]-11, [illegible]नगर-11, [illegible]पुरी-11, [illegible]-11, [illegible]नगर-11, मठीवाद-11, हवियापुर-11, [illegible]नगर-111, [illegible]पुरा-111, मठीवाद-111, अतरछेड़ी-111, राजपुरकलां-111, शिवपुरी-111, नैनी-111, [illegible]-11, नैनी, नैनी-4, नैनी-5, नैनी-6, मुड़िया-4, मुड़िया-5, मुड़िया-6, मुड़िया-7, शिवपुरी-4, शिवपुरी-5, शिवपुरी-6, शिवपुरी-7, राजपुर कलां-4, [illegible]पुर-11, बाड़बाई-111, मठीवाद-4, [illegible]पुरा-4, [illegible]पुरा-5, मठीवाद-4 ।
13-	पीलीभीत	मीरगंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] बहादुरगंज, [illegible], [illegible]पुर, पुरवा[illegible], [illegible] हुसैनपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुरा, [illegible]पुर, [illegible]-2, [illegible]पुरा, [illegible] [illegible]गंज, [illegible], [illegible]नगर, [illegible]राई, [illegible], [illegible], [illegible] ।

		सीतापुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], दुरैया, [illegible], गुरुड़ी, दुरविजयापुर, [illegible], दरोहिया, महसेवा, बरारा, [illegible], [illegible] पुर [illegible], शिवरामपुर, [illegible] [illegible], [illegible], अलीपुर [illegible], रसूलाबादपुर ।
		मिसरिख	25	[illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], तुसरिहिरी, [illegible], मरेवा, [illegible], [illegible], [illegible] पिपरा, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] मरोरी, [illegible] [illegible] ।
14-	सिद्धार्थनगर	नौगढ़	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-सिद्धार्थनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		डुमरियागंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रेहरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		बर्डपुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
15-	संतकबीरनगर	बघौली	22	[illegible], [illegible] ।

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-2

प्रेषक,

डा. वी.पी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे.)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. जिला [illegible] अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.श.अ. एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2[illegible]

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, [illegible] लखनऊ को [illegible] सी.ओ.आई.यू.एस के अन्तर्गत [illegible] गया है, इसमें लाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों का चिन्हित करना व उन्हें [illegible] तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सकें।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से सितम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तदनुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन नापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ स्थानों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्भ कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्भ कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिये
3.	हरा संदर्भ कार्ड	साधारण रोगों के लिये

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं इनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग देंगी।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठक करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थ संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक तीन माह में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपैडिक्स सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तदनुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह [illegible] प्रारम्भ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा भवन, लखनऊ को [illegible] एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत कराते रहेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० [illegible])

सचिव।

संख्या-3274(1)/5-11-2000, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कमलिनी श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना [बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद]

1. वाराणसी
2. अमरोहा
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. उधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14 औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

<u>जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [डी0पी0ई0पी0 (तृ0) जनपद]</u>

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुर खीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी०पी०ई०पी० जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम	क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव	33.	बिजनौर
2.	रायबरेली	34.	बागेश्वर
3.	कानपुर देहात	35.	पिथौरागढ़
4.	फर्रुखाबाद	36.	चम्पावत
5.	कन्नौज	37.	उत्तरकाशी
6.	मैनपुरी	38.	टिहरी
7.	इटावा	39.	रामपुर
8.	आगरा	40.	बाराबंकी
9.	मथुरा	41.	बहराइच
10.	मेरठ	42.	श्रावस्ती
11.	बागपत	43.	[illegible]
12.	बुलन्दशहर		
13.	गाजियाबाद		
14.	गौतमबुद्ध नगर		
15.	कुशीनगर		
16.	झांसी		
16.	जालौन		
18.	फैजाबाद		
19.	अम्बेडकर नगर		
20.	सुल्तानपुर		
21.	प्रतापगढ़		
22.	[illegible]		
23.	[illegible]		
24.	जौनपुर		
25.	गाजीपुर		
26.	मिर्जापुर		
27.	[illegible]		
28.	[illegible]		
29.	[illegible]		
30.	[illegible]		
31.	[illegible]		
32.	[illegible]		

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

नगर का नाम............ रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	अस्थि रोग	दृष्टिदोष	
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एव कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	. वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	. क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? . क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों/टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास/ गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण / अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, लगनशीलता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात / भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रम की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चें गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक : 50

श्रेणीकरण :

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA BSA											
DIET											
Others											
Total											

NIEPA DC
D11491

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National [illegible] Educational
[illegible] Administration.
17-[illegible] Marg,
New [illegible]
DOC, No. D-11491
Date 27-07-2002.